वार्षिक 300/- रूपए
website : www.vhp.org

मूल्य 15 रूपए
कुल पृष्ठ - 28

राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

अप्रैल (01-15), 2024

हिन्दू विश्व

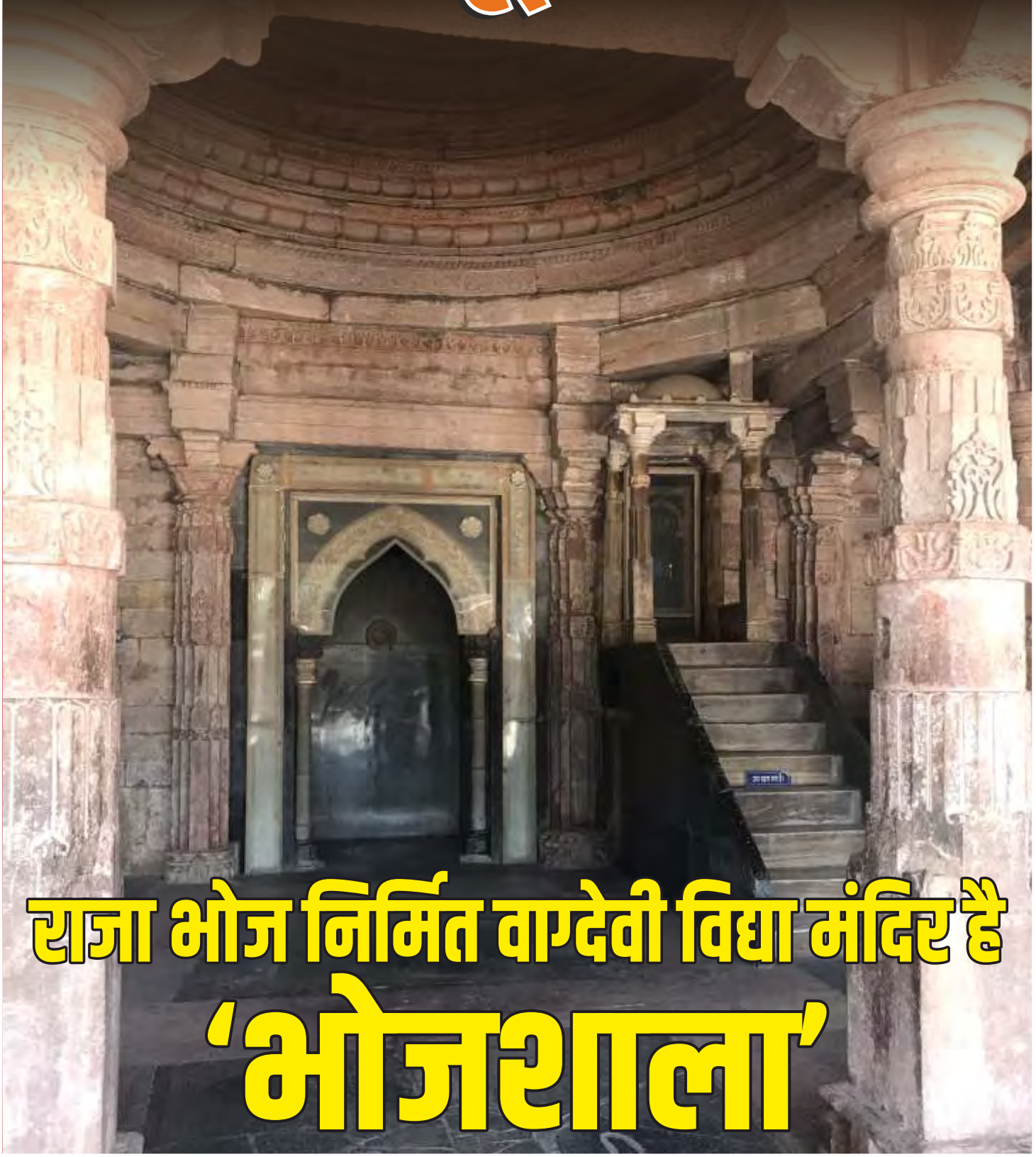

राजा भोज निर्मित वाग्देवी विद्या मंदिर है

'भोजशाला'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा बैठक 15-16-17 मार्च, 2024 को नागपुर में आयोजित हुई।

दक्षिण बिहार के गया में दक्षिण बिहार की प्रांत कार्यसमिति की
बैठक में क्षेत्र व प्रांत के पदाधिकारियों के साथ उपस्थित विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद जी पराण्डे

हरिद्वार के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते विहिप संगठन महामंत्री श्री मिलिंद पराण्डे

हिन्दू विश्व
राष्ट्रीय पुनर्जागरण का पाक्षिक

हे अग्निदेव! आप सबके स्वामी, दिव्य गुणों से युक्त, देदीप्यमान, शत्रुओं के लिए भयंकर, उपासकों को इच्छित पदार्थ प्रदान करने वाले, सब प्रकार से शक्ति को विकसित करने वाले हैं, ऐसा अनुभव किया गया है। सर्वज्ञाता आप प्रदीप्त होकर अपने प्रकाश को सर्वत्र फैलाते हुए सांध्य हवन के निमित्त निशाकाल में प्राप्त होते हैं।

– सामवेद

अप्रैल 01–15, (2024)
चैत्र कृष्ण - शुक्ल पक्ष
नल संवत्सर
वि. सं. - 2080, युगाब्द- 5125

सम्पादक
विजय शंकर तिवारी

सह सम्पादक
मुरारी शरण शुक्ल
मो. - 7217685539

परामर्शदाता
सर्वश्री राजेन्द्र शर्मा,
धर्मनारायण शर्मा, विजय कुमार,
रवि पराशर

व्यवस्थापक
श्री दूधनाथ शुक्ल
मो. - 09582555152

सज्जा
श्री महेश कुशवाहा

कार्यालय :
'हिन्दू विश्व'
संकटमोचन आश्रम, प्रभाग - 6
रामकृष्णपुरम्,
नई दिल्ली-110022-05
दूरभाष : 09582555152

011-26178992, 011-26103495
hinduvishwa@gmail.com

- : मूल्य :-

विदेशों के लिए	$ 75 USD
वार्षिक डाक व्यय सहित	
एक प्रति	15/-
वार्षिक	300/-
त्रिवर्षीय	750/-
पंचवर्षीय	1,200/-
दसवर्षीय	2,250/-
पन्द्रह वर्षीय	3,100/-

वैधानिक सूचना

- 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

@eHinduVishwa
@eHinduVishwa
@eHinduVishwa
कुल पेज - 28

राजा भोज का विद्या मंदिर है भोजशाला 05

मध्यप्रदेश की अयोध्या धार की 'भोजशाला'	08
सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है	10
सिर्फ सीएए नहीं, समान नागरिक संहिता भी लागू हो	12
सीएए कानून का विरोध शरीयत के अनुसार	13
'मानवता में विश्वास रखने वाले कभी भी सीएए में संशोधन का विरोध नहीं करेंगे...'	14
मनीषियों की सीख पर क्यों न चलें !	16
कट्टरता के खिलाफ काम करता है 121 मिलियन लोगों का	17
शांति का मूल : त्याग	18
हिंदू अनुष्ठानों में सर्वऔषधि के आध्यात्मिक और औषधीय सार	20
सेहत के लिए प्राकृतिक चटनियाँ खाइये	23
हिंदू नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आध्यात्मिक समृद्धि की यात्रा	24
गया में दक्षिण बिहार की प्रांत कार्यसमिति की बैठक का आयोजन	25

सुभाषित

अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम्।
अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया।।

अन्न और विद्या का दान परम दान है किन्तु दान में अन्न प्राप्त करने वाले को कुछ क्षणों के लिए ही तृप्ति प्राप्त होती है, जबकि दान में विद्या प्राप्त करने वाला जीवनपर्यन्त तृप्ति प्राप्त करता है।

सम्पादकीय

विजय शंकर तिवारी

भोजशाला प्रकरण में जय निश्चित है

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। न्यायालय की आज्ञा से काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी का पुरातात्विक सर्वेक्षण हो चुका है, व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा आरम्भ हो चुकी है। अब मध्यप्रदेश के धार में स्थित भोजशाला के पुरातात्विक सर्वेक्षण की अनुमति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर पीठ ने दिया है। 22 मार्च 2024 से यह सर्वेक्षण आरम्भ भी हो चुका है। सर्वेक्षण में वहाँ स्थित सभी धार्मिक साक्ष्य सामने आ जायेंगे। भोजशाला परिसर में जितने भी मजार और मस्जिद बनाये गये हैं, उन सब का निर्माण भोजशाला के विभिन्न हिस्सों को तोड़कर उन्हीं के खम्भों, दरवाजों इत्यादि का उपयोग कर किया गया है। तथाकथित मस्जिद के निर्माण में प्रयुक्त प्राचीन भोजशाला के खम्भों पर भगवान वाराह, विष्णु, राम, लक्ष्मण, माता सीता की प्रतिमा पाई गई है, जय–विजय द्वारपालों की मूर्ति है, कमल का फूल अंकित किया हुआ प्राप्त हुआ है, विभिन्न देवी–देवताओं की प्रतिमा मिली है। संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। 18 वीं शताब्दी में हुई खुदाई में देवी सरस्वती की प्रतिमा भी निकली थी। वही प्रतिमा अँग्रेज इंग्लैंड ले गए थे। परिसर के मध्य में यज्ञशाला विद्यमान है। भूमि के अन्दर खुदाई की अनुमति मिली है, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार से भूमि के अन्दर क्या है, यह जानने का प्रयत्न होगा। इससे प्राप्त तथ्य भी भोजशाला के हिन्दू संरचना होने को प्रमाणित करेंगे। वहाँ की भूमि का रिकार्ड कभी भी मुसलमानों का स्वामित्व नहीं दर्शाता है। 1935 से पहले यहाँ के रेवेन्यू रिकार्ड में भोजशाला मंदिर लिखा हुआ है, परन्तु कहीं पर भी लैंड रिकार्ड में मस्जिद होने का उल्लेख नहीं है। सदा से ही यह भूमि राजा भोज द्वारा निर्मित और लोकार्पित विद्या मंदिर (सरस्वति मंदिर) ही है।

मुसलमानों ने 1935 से पहले वहाँ कभी भी नमाज नहीं पढ़ा है। शुक्रवार को नमाज पढ़ने की आज्ञा मिलने के बाद भी यह स्थान एएसआई के आधिपत्य में है। इसका आधिपत्य कभी भी मुसलमानों के हाथ में नहीं था। इसीलिए इसके वक्फ संपत्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ एक मकबरा है, जो वहाँ पूर्व में 1902–03 में हुए सर्वे में अंकित नहीं है, भोजशाला मंदिर परिसर में विद्यमान अन्य सभी हिन्दू भवन संरचनाएँ उस सर्वे में अंकित हैं।

हिन्दू राजवंशों ने मुसलमानों को उदारतावश नमाज पढ़ने की अनुमति दी, लेकिन उसी उदारता वाली अनुमति को परिसर पर अधिकार का लाइसेंस मान लिया नमाजियों ने। यह तो उसी प्रकार का अधिकार जताने का प्रयत्न है, जैसे कश्मीर के सेव बागानों के मुस्लिम मजदूरों ने हिन्दू स्वामियों के बागान और संपत्तियों समेत पूरे कश्मिर पर कब्जा करने की चेष्टा की, रौशनी ऐक्ट के सहारे यह कब्जे का खेल वर्षों तक खेला गया। आबादी बढ़ते ही मजहब और मजहबी हिंसा के आधार पर देश का बंटवारा करवाने वाली मानसिकता ने ही भोजशाला समेत लाखों हिन्दू धार्मिक स्थलों पर इतिहास में कब्जा किया है। हमारे न्यायालयों की न्याय परिपाटी पर हमें भरपूर विश्वास है। आने वाले दिनों में, हिंदुओं पर हुए ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध, हमें न्याय अवश्य मिलेगा। हिन्दू अपने उपर अन्याय की अनंत गाथाओं के दबाब से बाहर निकलेगा, मुकदमों में विजय प्राप्त करेगा। अब हिन्दू अपने ऐतिहासिक–धार्मिक धरोहरों के लिए लड़ना सीख रहा है। एक–एक फ्रंट पर स्वयं प्रेरणा से लड़ रहा है, साक्ष्यों के लिए शोध कर रहा है, कानूनी युक्ति निकाल रहा है, शत्रु का डटकर सामना कर रहा है, विजिगिषु प्रवृति पाल रहा है, विजय की ओर आगे बढ़ रहा है, अब आगे विजय ही विजय है।

हिन्दू राजवंशों ने मुसलमानों को उदारतावश नमाज पढ़ने की अनुमति दी, लेकिन उसी उदारता वाली अनुमति को परिसर पर अधिकार का लाइसेंस मान लिया नमाजियों ने। यह तो उसी प्रकार का अधिकार जताने का प्रयत्न है, जैसे कश्मीर के सेव बागानों के मुस्लिम मजदूरों ने हिन्दू स्वामियों के बागान और संपत्तियों समेत पूरे कश्मिर पर कब्जा करने की चेष्टा की, रौशनी ऐक्ट के सहारे यह कब्जे का खेल वर्षों तक खेला गया। आबादी बढ़ते ही मजहब और मजहबी हिंसा के आधार पर देश का बंटवारा करवाने वाली मानसिकता ने ही भोजशाला समेत लाखों हिन्दू धार्मिक स्थलों पर इतिहास में कब्जा किया है। हमारे न्यायालयों की न्याय परिपाटी पर हमें भरपूर विश्वास है।

राजा भोज का विद्या मंदिर है भोजशाला

मुरारी शरण शुक्ल
(सह सम्पादक हिन्दू विश्व)

धार की भोजशाला राजा भोज का विद्या मंदिर है। भोजशाला की स्थापना 1034 ई. में की गई थी। यह माता सरस्वती का एकमात्र प्राचीन मंदिर है। इस विद्या मंदिर में वाग्देवी माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित थी। आज वाग्देवी (माता सरस्वती) की मूल मूर्ति लंदन संग्रहालय में रखी हुई है। लॉर्ड कर्जन ने इस मूर्ति को 1902 ई. में भोजशाला से छीनकर इंग्लैण्ड में रख दिया। माता सरस्वती का यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो राजा भोज की राजधानी थी। भोजशाला हजारों छात्रों और विद्वानों का घर था और यह शिक्षा का मुख्य केंद्र था। संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शनशास्त्र सीखने के लिए यहाँ काफी छात्र आया करते थे। वर्तमान में यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संरक्षण में है।

मामला न्यायालय में

यह याचिका 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' की तरफ से दायर की गई थी। इसमें ASI के महानिदेशक द्वारा 7 अप्रैल 2003 को जारी एक आदेश को चुनौती दी गई। एएसआई ने अपने आदेश में भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। मुस्लिम इसे 11वीं शताब्दी में बना 'कमाल मौलाना मस्जिद' बताते हैं। हिंदू संगठन ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि यह स्मारक एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है, जो सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजनीय है। इसके लिए प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। हिंदू संगठन ने माँग की कि भोजशाला परिसर में देवी सरस्वती (वाग्देवी) की मूर्ति स्थापित की जाए। इसके साथ ही परिसर की वीडियोग्राफी और उसकी जाँच की माँग की। इसी के साथ केंद्र सरकार से भोजशाला में बनी कलाकृतियों और मूर्तियों की रेडियो कार्बन डेटिंग करवाने का आग्रह किया गया है।

धार भोजशाला पहले था महाविद्यालय

मध्यप्रदेश के धार में हजार साल पहले परमार वंश का शासन था। यहाँ 1000 से 1055 तक राजा भोज ने शासन किया था। इतिहास के अनुसार, राजा भोज वाग्देवी यानी माता सरस्वती के उपासक थे। उन्होंने 1034 में धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की। बाद में इस महाविद्यालय को ही भोजशाला के नाम से पहचाना जाने लगा। भोजशाला को विद्या मंदिर, या, सरस्वती मंदिर भी कहा जाता है।

वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने शुक्रवार को धार की भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की टीम धार स्थित भोजशाला का सर्वे कर रही है। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे किया जा रहा है। एएसआई की टीम पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर इस बात का पता लगाएगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। भोजशाला परिसर के आसपास मजबूत सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने 11 मार्च को छह हफ्तों के भीतर एएसआई को धार

की विवादास्पद भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था।

मुस्लिम पक्ष की मांग

भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा था।

किसने बनवाई भोजशाला में मस्जिद

अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में भोजशाला को नष्ट कर दिया। बाद में 1401 में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी थी। इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 में भोजशाला के दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी थी। कहा जाता है कि साल 1875 में इस जगह पर खुदाई की गई, जिसमें माता सरस्वती की एक प्रतिमा भी निकली थी। इस मूर्ति को ब्रिटिश मेजर किनकेड लंदन ले गया। अभी सरस्वती देवी की वो प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में रखी है। भोजशाला पर अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को लंदन से वापस लाने की मांग भी की गई है।

इस्लामी आक्रमण और भोजशाला परिसर का विनाश

साल 1305, 1401 और 1514 ई. में मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला के इस मंदिर और शिक्षा केंद्र को बार–बार तबाह किया। 1305 ई. में क्रूर और बर्बर मुस्लिम अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भोजशाला को नष्ट किया। हालाँकि, इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया 36 साल पहले 1269 ई. में ही शुरू हो गई थी, जब कमाल मौलाना नाम का एक मुस्लिम फकीर मालवा पहुँचा। कमाल मौलाना ने कई हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए छल–कपट का सहारा लिया। उसने 36 सालों तक मालवा क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की और उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। युद्ध में मालवा के राजा महाकाल देव के वीरगति प्राप्त करने के बाद खिलजी का कहर शुरू हो गया। खिलजी ने भोजशाला के छात्रों और शिक्षकों को बंदी बना लिया और इस्लाम में धर्मांतरित होने से इनकार करने पर 1200 हिंदू छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर दी। उसने मंदिर परिसर को भी ध्वस्त कर दिया। मौजूदा मस्जिद उसी कमाल मौलाना के नाम पर है।

ऐतिहासिक साक्ष्य

मुस्लिम जिसे 'कमाल मौलाना मस्जिद' कहते हैं, उसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर बनवाया है। अभी भी इसमें भोजशाला के अवशेष स्पष्ट दिखते हैं। मस्जिद में उपयोग किए गए नक्काशीदार खंभे वही हैं, जो भोजशाला में उपयोग किए गए थे। मस्जिद की दीवारों से चिपके उत्कीर्ण पत्थर के स्लैब में अभी भी मूल्यवान नक्काशी किए हुए हैं। इसमें प्राकृत भाषा में भगवान विष्णु के कूर्मावतार के बारे में दो श्लोक लिखे हुए हैं। एक अन्य अभिलेख में संस्कृत व्याकरण के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ अभिलेख में राजा भोज के उत्तराधिकारी उदयादित्य और नरवर्मन की प्रशंसा की गई है। शास्त्रीय संस्कृत में एक नाटकीय रचना है। यह अर्जुनवर्मा देव (1299–10 से 1215–18 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान अंकित किया गया था। यह नाटक प्रसिद्ध जैन विद्वान आषाधार के शिष्य और राजकीय शिक्षक मदन द्वारा रचा गया था। नाटक को कर्पुरमंजरी कहा जाता है और यह धार में वसंत उत्सव के लिए था।

भोजशाला परिसर के अंदर यज्ञ कुंड

मंदिर, महलों, महाविद्यालयों, नाट्यशालाओं और उद्यानों के नगर–धारानगरी को 84 चौराहों का आकर्षण का केंद्र माना जाता था। देवी सरस्वती की प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। प्रसिद्ध कवि मदन ने अपनी कविताओं में भी माता सरस्वती मंदिर का उल्लेख किया है।

कुछ अन्य आक्रमण

खिलजी के बाद एक अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी दिलावर खान ने 1401 ई. में यहाँ के विजय मंदिर (सूर्य मार्तंड मंदिर) को ध्वस्त कर दिया और सरस्वती मंदिर भोजशाला के एक हिस्से को दरगाह में बदलने का प्रयास किया। मुस्लिम आज उसी विजय मंदिर में नमाज अदा करते हैं। फिर 1514 ई. में महमूद शाह ने भोजशाला को घेर लिया और इसे एक दरगाह में बदलने का प्रयास किया। उन्होंने सरस्वती मंदिर के बाहर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और 'कमाल मौलाना मकबरा' की स्थापना की। इसी आधार पर भोजशाला के दरगाह होने का दावा किया जा रहा है।

1552 ई. में मेदनी राय नाम के एक क्षत्रिय राजा ने हिंदू सैनिकों को इकट्ठा कर महमूद खिलजी को मार भगाया। इस लड़ाई में मेदनी राय ने हजारों मुस्लिम सैनिकों को मारा और 900 मुस्लिम सैनिकों को गिरफ्तार कर धार किले में बंद कर दिया। 25 मार्च 1552 को धार किले में काम करने वाले सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी ने विश्वासघात करते हुए उन सैनिकों को रिहा कर

दिया। बाद में राजा मेदनी राय ने समरकंदी को विश्वासघात के लिए मृत्युदंड दिया। उसी सैयद मसूद अब्दाल समरकंदी को धार किले में 'बंदीछोड़ दाता' कहा जाता है।

अँग्रेजों का प्रवेश

1703 ई. में मालवा पर मराठों का अधिकार हो गया, जिससे मुस्लिम शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1826 ई. में मालवा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने भी भोजशाला पर आक्रमण किया, कई स्मारकों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने भोजशाला से देवी की मूर्ति को लेकर 1902 में इंग्लैंड भेज दिया। यह मूर्ति वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में है। मुस्लिम शासन के बाद पहली बार मुस्लिमों ने 1930 में ब्रिटिश शासन के दौरान भोजशाला में प्रवेश करके नमाज अदा करने का प्रयास किया था। हालाँकि, इस प्रयास को आर्य समाज और हिंदू महासभा के हिंदू कार्यकर्ताओं ने विफल कर दिया।

एएसआई को सौंपा गया

साल 1952 में केंद्र सरकार ने भोजशाला को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंप दिया। उसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के प्रचारकों ने हिंदुओं को भोजशाला के बारे में जानकारी देना शुरू किया। इसी समय के आसपास हिंदुओं ने श्री महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति की स्थापना की। उसके बाद 1961 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद्, कलाकार, लेखक और इतिहासकार पद्मश्री डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर ने लंदन का दौरा किया और बताया कि लंदन में रखी वाग्देवी की मूर्ति असल में भोजशाला में राजा भोज द्वारा स्थापित की गई थी।

हिंदुओं को पूजा की अनुमति नहीं थी

12 मार्च 1997 से पहले हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन वे पूजा नहीं कर सकते थे, इसकी अनुमति नहीं थी। साल 1997 में मध्य प्रदेश की काँग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी कर मुस्लिमों को हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज अदा करने की अनुमति दे दी और हिंदुओं के भोजशाला में प्रवेश पर रोक लगा दिया। हिंदुओं को केवल वसंत पंचमी के दौरान भोजशाला में प्रवेश करने और पूजा करने की अनुमति थी। भोजशाला को अप्रैल 2003 में हिंदुओं के लिए खोल दिया गया था। हिंदू भक्त मंदिर में हर दिन आ सकते थे, लेकिन सिर्फ मंगलवार को पूजा कर सकते थे, वो भी सिर्फ फूल से।

वीडियोग्राफिक सर्वे

ज्ञानवापी ढाँचे में वीडियोग्राफिक सर्वे के बाद सामने आए तथ्यों के बाद भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। हालिया याचिका में भोजशाला पूर्णतः हिंदुओं के अधिकार में देने की माँग की गई है। इसमें आगे कहा गया कि मंदिर तोड़े जाने के बाद अब तक उसी रूप में बने रहना श्रद्धालुओं की आस्थाओं पर आघात है। ऐसा होने से हिंदू समाज अपने पूजा स्थल से आध्यात्मिक शक्ति नहीं हासिल कर पा रहा है। याचिका में कहा गया है कि भोजशाला का वर्तमान स्वरूप हर दिन श्रद्धालुओं को चिढ़ाने के समान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के साथ 13 (1) धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। आक्रमणकरियों के समय से चली आ रही गलती को अब सुधारा जाना चाहिए।

121 साल बाद हो रहा सर्वे

भोजशाला सरस्वती मंदिर का पहले भी सर्वे हो चुका है। 1902–03 में सरकार ने भोजशाला परिसर में खुदाई करवाई थी। अब 121 साल बाद फिर से एएसआई की टीम भोजशाला के 50 मीटर परिक्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों से जांच करेगी। बता दें कि पूर्व में हुई जांच रिपोर्ट में जो फोटो लगाए गए थे, उसमें भगवान विष्णु और कमल का फूल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हिंदू धर्म में कमल के फूल को बहुत पवित्र माना गया है। धन की देवी माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर ही विराजती हैं।

हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क

हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। वस्तुतः, हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोज के समय की इमारत बताते हुए इसे माता सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का कहना है कि राजवंश काल में भोजशाला कुछ समय के लिए मुसलमानों को नमाज पढ़ने की छूट दी गई थी। बाद में इन्होंने इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया। फिर यहाँ मस्जिद बनवा दी। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे यहाँ लंबे समय से नमाज पढ़ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग इसे भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कहते हैं।

कभी छूट तो कभी लगती रही पाबंदी

धार रियासत ने 1909 में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था। पुरातत्व विभाग को सौंपे जाने के बाद से इसकी देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई के पास ही है। धार रियासत ने 1935 में हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। 1935 से पहले वहाँ कभी भी नमाज नहीं पढ़ा गया था। 1995 में भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद हो गया। इसके बाद मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दे दी गई। कलेक्टर ने 12 मई 1997 को भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। साथ ही मंगलवार की पूजा पर भी रोक लगा दी। सिर्फ वसंत पंचमी के दिन पूजा और हर शुक्रवार को नमाज की छूट दे दी गई। मंगलवार की पूजा पर 31 जुलाई 1997 को पाबंदी हटा दी गई।

कई बार बिगड़ा है धार का माहौल

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 6 फरवरी 1998 को फिर भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। एक बार फिर मंगलवार की पूजा बंद कर दी गई। इसके बाद साल 2003 में फिर मंगलवार को पूजा करने की छूट दे दी गई। साथ ही भोजशाला को पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया। वर्ष 2013 में जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ गई। इससे यहाँ का माहौल बिगड़ गया। हिंदुओं ने वसंत पंचमी के दिन भोजशाला को छोड़ने से इनकार कर दिया। माहौल इतना बिगड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था। इसके बाद 2016 में भी बसंत पंचमी शुक्रवार की पड़ी और फिर तनाव बढ़ गया। अब लोगों को कोर्ट के फैसले से उम्मीद है, जिससे ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सके।

murari.shukla@gmail.com

मध्यप्रदेश की अयोध्या धार की 'भोजशाला'

मंगलेश सोनी

भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के हमले, भारतीयता को नष्ट करने, मंदिरों को ध्वस्त करने के कई प्रमाण मिलते हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित देश के कई धर्म स्थल इन आघातों के साक्षात गवाह है। ऐसा ही एक स्थान मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में धार जिला केंद्र पर स्थित भोजशाला है। जो अपने पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक स्मृतियों, धर्म दण्ड की उपेक्षाओं को बटोरे आज भी न्याय की प्रतीक्षा में खड़ी है। धार नगर के बीचों–बीच स्थित माँ वाग्देवी का यह मंदिर एक समय राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी, जहाँ से देश–विदेश के कई छात्र धर्म शास्त्र की शिक्षा लेकर संस्कृति का प्रचार और रक्षण करते थे। राजा भोज 10 वीं सदी के महान राजा हुए, जिन्होंने 1010 से 1055 तक मालवा पर शासन किया। अपने कालखंड में इन्होंने भारतीय संस्कृति को संरक्षित और प्रसारित किया। भोजशाला का निर्माण भी इसी समय का है।

यदि हम भोजशाला का वर्तमान का भी भौतिक रूप देखें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ठीक बीच में स्थित एक विशाल यज्ञ कुंड है, जो साक्षात प्रमाण है कि यह एक हिन्दू धर्म स्थल है ना कि कोई मस्जिद या मजार। इसके साथ ही इसके अनेक स्तंभों में हिन्दू देवी–देवताओं के चित्र हमें स्वयं ही परिभाषित करते हैं। सन 1875 में अँग्रेजों ने यहाँ से

आदेश के मुख्य बिन्दू इस प्रकार है :–

1. भोजशाला के पूरे परिसर का सर्वे और उत्खनन वैज्ञानिक पद्धति से होगा।
2. उत्खनन और सर्वे GPS GPR तकनीक के साथ कार्बन डेटिंग तथा अन्य नई तकनीक से करने का आदेश।
3. भोजशाला परिसर की बाउंड्रीवाल से 50 मीटर की दूरी तक सर्वे किया जायेगा।
4. ASI के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी की निगरानी में सर्वे होगा।
5. उत्खनन एवं सर्वे की वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
6. परिसर के सभी बंद पड़े कमरों, खुले परिसर तथा सभी खम्भों का विस्तार से सर्वे होगा।
7. उत्खनन सर्वे की रिपोर्ट 2 महीने में प्रस्तुत करने के आदेश।

माँ सरस्वती की प्रतिमा अपने नियंत्रण में ले ली, 1880 में उसे इंग्लैंड के म्यूजियम में भेज दिया गया। सरस्वती माता को ही माँ वाग्देवी कहा जाता है, जिनकी प्रतिमा वर्तमान में इंग्लैंड में है, उसका स्थान भी आज रिक्त अवस्था में प्रदर्शित होता है। इतने साक्ष्यों के बाद भी हिन्दू समाज को यह सिद्ध करना पड़ रहा है कि यह एक हिन्दू धर्म स्थल है और इस्लामिक कब्जे से इसे मुक्त करना चाहिए।

कुछ समय के बाद अब वाग्देवी माँ सरस्वती की प्रतीक्षा का अंत होने को है। माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खण्ड पीठ में हिन्दू फ्रंट द्वारा लगाए गए एक वाद में न्यायालय ने धार स्थित वाग्देवी माँ सरस्वती के मंदिर व विद्यालय, जिस पर वर्तमान में अनैतिक रूप से इस्लामिक कब्जा है, इस परिसर के एएसआई (ASI) सर्वेक्षण का आदेश दिया है। सामाजिक संगठन 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने ये याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने ASI को पाँच सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश मिलने के बाद 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि एएसआई भोजशाला की ऐतिहासिकता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण करके शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट सौपें। जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस देव नारायण मिश्र की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि एक्सपर्ट कमेटी दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार सिस्टम सहित सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तरीकों के साथ

परिसर के 50 मीटर के दायरे में समुचित स्थानों पर जरूरत पड़ने पर खुदाई करा कर सर्वेक्षण करे। जिससे कि परिसर के बारे में ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, तार्किक स्तर पर स्पष्टीकरण मिल सके। इस सर्वेक्षण की तस्वीरें और वीडियो बनाई जाएँ, ताकि उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके और इस वाद में आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जा सके। साथ ही 29 अप्रैल के पहले कोर्ट को रिपोर्ट दी जाए। 29 अप्रैल को कोर्ट में अगली सुनवाई है। हिन्दू फ्रंट ने करीब 1,000 साल पुराने भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जाँच, सर्वेक्षण अथवा खुदाई या 'ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार' (जीपीआर) सर्वेक्षण समयबद्ध तरीके से करने की मांग की थी। भोजशाला के सरस्वती मंदिर होने के अपने दावे के समर्थन में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट के सामने इस परिसर की रंगीन तस्वीरें भी पेश की हैं।

पिछले कई दशकों के अविराम संघर्ष का परिणाम है कि मध्यप्रदेश भोजशाला का यह क्षेत्र हाई वोल्टेज तनाव पर रहा। यहाँ कोर्ट के निर्णय से कई बार स्थितियाँ परिवर्तित होती रही। पूर्व की दिग्विजय सरकार व उससे पहले के समय में यह परिसर अर्थात भोजशाला हिन्दू समाज के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित थी। परन्तु मुस्लिम समाज को नमाज के लिए जाने की अनुमति थी, इसी अवसर का लाभ उठाकर भोजशाला के परिसर में वर्णित स्तंभ की रचनाओं, शिलालेखों, मूर्तियों, यज्ञ कुंड, आलेख, चित्र, संरचनाओं को खंडित करने, मिटाने के कुत्सिक प्रयास किए गए। भोजशाला के आस पास अनैतिक व अवैध रूप से पत्थरों को हरा रंग करके गाढ़ा किया गया, कई सीमेंट की मजार बनाकर उन्हें हरा पोता गया, स्थानीय हिन्दू समाज के विरोध के बाद भी तत्कालीन जिम्मेदार प्रशासन व अधिकारियों ने इस संबंध में कोई खास रुचि नहीं ली और यह अनैतिक कब्जा बढ़ता गया। हिन्दू समाज के दशकों के संघर्ष के बाद कुछ वर्षों से हिन्दू समाज को मंगलवार दर्शन और पूजन का अधिकार मिला। जबकि शुक्रवार को नमाज कराने की योजना अब भी जारी रही। शरणार्थी के रूप में आए कमाल मौला के स्थल को षड्यंत्रपूर्वक भोजशाला के बाहर बनाया गया, उसे हर वर्ष बड़ा आकार दिया गया। मुस्लिम हितों की सरकारों के चलते इस प्रक्रिया में कभी प्रशासन या अधिकारियों ने ठोस कदम नहीं उठाये।

सन 1989 से भोजशाला चर्चा में रहा है, भोजशाला को मध्यप्रदेश की अयोध्या तक कहा गया, क्योंकि इसकी परिस्थितियाँ भी अयोध्या, काशी की तरह ही बनी हुई है। कोर्ट के निर्णय से शुक्रवार को मुस्लिम यहाँ नमाज पढ़ते हैं, हिन्दू समाज को मंगलवार दर्शन की अनुमति है, वर्ष में बसन्त पंचमी पर यहाँ बड़ा आयोजन होता है, यज्ञ, हवन, विशाल सभा होती है। जब भी बसन्त पंचमी शुक्रवार को आई, शासन–प्रशासन के पसीनें छूट जाते थे। इसी कारण 2003, 2006, 2013 बसंत पंचमी शुक्रवार होने से विवाद की स्थितियाँ बनी। शासन–प्रशासन ने कई बार हिन्दूओं के विरोध को कुचला भी। इस आंदोलन में एकत्रीत सभाओं में पुलिस के द्वारा कई बार हिन्दू समाज पर अत्याचार करवाये गए। कई बार लाठी –डंडों से भोजशाला मुक्ति आंदोलन के कर्णधारों का सम्मान हुआ, परन्तु धार के स्थानीय समाज ने बहुत ही शक्ति, धैर्य और साहस से इस आंदोलन को एक से दूसरी पीढ़ी तक जारी रखा। इसी भोजशाला मुक्ति आंदोलन ने पूरे धार मालवा को एकजुट करके सड़कों पर ला दिया, तब सरकार व प्रशासन की नींद खुली। भोजशाला का आंदोलन कभी समाप्त नहीं हुआ। बल्कि आज भी प्रत्येक मंगलवार को भोजशाला उत्सव समिति के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन जारी है।

तब का हिन्दू समाज यदि कई बार संघर्ष ना करता, तो यह अवैध इस्लामिक कब्जा बढ़ता ही रहता और आज समाज जागरूक नहीं होता। भोजशाला के दर्शन करने वाले सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी यह अनुभव हो जाएगा कि यह परिसर किसी समय में एक हिन्दू संस्थान रहा होगा। स्तंभों में उकेरे हुए मूर्ति व देवी–देवताओं के चित्र चीख–चीख कर यह गवाही देते हैं कि भोजशाला हिन्दू समाज का पूजनीय स्थल है, परिसर के मध्य में स्थित बहुत बड़ा यज्ञ कुंड इसका साक्षात प्रमाण है कि राजा भोज के शासनकाल से ही यहाँ यज्ञ, हवन होते थे, वेदों की ऋचाएँ गुंजा करती थी। परन्तु भोजशाला को अब तक अपने न्याय की प्रतीक्षा थी, जिसका अंत होते दिखाई दे रहा है। माँ वाग्देवी की प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है, जिसे अँग्रेज अपने साथ ले गए थे।

अब यह शुभ अवसर है, जिस प्रकार 500 वर्षों के बड़े संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, काशी विश्वनाथ भी अब अपने स्वाभिमानपूर्वक पुर्नप्रतिष्ठा की ओर है, भारत का प्रभाव जिस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में बढ़ रहा है, तब मध्यप्रदेश की इस अयोध्या भोजशाला को भी न्याय मिलना चाहिए, हिन्दू समाज की आस्था का ध्यान रखते हुए माँ वाग्देवी की प्रतिमा को ससम्मान धार लाकर भोजशाला में स्थापित करना चाहिए।

सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है

ललित गर्ग

संसद में 11 दिसंबर, 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अर्थात सीएए पारित होने के लगभग चार वर्ष के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने इसे लोकसभा चुनाव से पूर्व देश भर में लागू करके न केवल अपने राजनीतिक आलोचकों को अचंभित किया है, बल्कि देश अपने लोगों की न्यायपूर्ण नागरिकता सुनिश्चित करने की जरूरी दिशा में बढ़ चला है। यह कानून भारत की नागरिकता को संतुलित, औचित्यपूर्ण एवं समतामूलक बनाने की दिशा में साहसिक कदम है। इस नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पाकिस्तान, बाँग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले मुस्लिमों को अब भारत में सहजता से नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि इन देशों से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोगों को सहजता से नागरिकता हासिल हो जाएगी। कानून के तहत पात्र लोग नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गौर करने की बात है कि पिछले दिनों से विपक्षी दलों के अनेक नेता सीएए को लागू करने का विरोध करते हुए एक वर्ग–विशेष के लोगों को अपने पक्ष में करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। जबकि भाजपा सरकार एवं उससे जुड़े शीर्ष नेतृत्व इसे लागू होने के संकेत दे रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आम चुनाव से पहले ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा और जो कहा, उसे कर दिखाया है। चुनाव की घोषणा के ठीक पहले सीएए को लागू कर सरकार ने अपना एक वादा पूरा कर दिया है। अब इसे लागू करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से एक सार्थक पहल का सूत्रपात किया है।

सीएए पारित हो गया था और इस कानून को अधिसूचित भी कर दिया गया था, पर इसके लिए लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले देश में नागरिकता नियम तय नहीं हुए थे। कानून बन जाने के बाद नियम तय करना जरूरी होता है और नियम तय करने के लिए सरकार लगातार समय ले रही थी। इस वजह से

सरकार की आलोचना भी हो रही थी। बहरहाल, नियम न तय होने से आगे नई लोकसभा में तकनीकी परेशानियाँ आ सकती थीं, अतः केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस कार्य को अंजाम देकर एक तरह से अपना ही अधूरा काम पूरा करके एक साहसिक एवं समयोचित कदम उठाया है। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बाँग्लादेश से आये हिंदू, सिख, ईसाई व अन्य धर्म के लोगों के लिए एक नये सूरज का उदय है। आगामी चुनाव एक तरह से सीएए पर जनमत संग्रह जैसा होगा। यहाँ यह याद करने की बात है कि सीएए लागू करने का वादा पिछले लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाया गया प्रमुख मुद्दा था और इससे भाजपा को चुनाव में बहुत फायदा भी हुआ था। सीएए के सन्दर्भ में राजनीति से अलग होकर सोचना ज्यादा जरूरी है। जो मजबूर लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बाँग्लादेश से भारत में आए हुए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान देश के लिए प्राथमिकता होनी ही चाहिए। भूलना नहीं चाहिए कि नागरिकता का तार्किक व मानवीय दृष्टिकोण इस देश की 'वसुधैव कुटुंबकम' की संस्कृति का अंग है।

सीएए के कारण भले ही तथाकथित अराष्ट्रवादी ताकतें एवं विपक्षी दल हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना सकते हैं, लेकिन यह कानून एक आदर्श नागरिकता कानून है, लम्बे समय से इस कानून की जरूरत को महसूस करते हुए अनेक नागरिक घुटन एवं असंतुलित नागरिकता कानून के दंश को भोग रहे थे। व्यक्ति जिस समाज में जीता है, उसकी व्यवस्थाओं, नीतियों और परम्पराओं में जब घुटन का अनुभव करता है, तो वह किसी नए मार्ग का अनुसरण करता है। आज आजादी के बाद की राजनीतिक विसंगतियों से पनपी ऐसी ही घुटन से नागरिकों को बाहर निकालने के प्रयत्न वर्तमान सरकार द्वारा हो रहे हैं। ऐसा ही एक विशिष्ट उपक्रम है सीएए। इसको लेकर भी गुमराह किया जा रहा है, राष्ट्र की एकता को विखंडित करने के प्रयास हो रहे हैं। सीएए को लेकर मुस्लिम समाज

को भ्रमित करने की साजिश हुई है और चुनावी माहौल में यह और तीव्रता से होने की संभावना है। राजनीतिक लोग सीएए को मुस्लिम विरोधी बताने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना–देना नहीं, उसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया या फिर से उतारने के स्वर गूंजने लगे हैं। एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों को गुमराह किया गया है, यह साजिश जिस किसी ने भी रची हो, लोगों और खासकर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम अनेक विपक्षी दलों ने किया। इनमें काँग्रेस सरीखे वे दल भी थे, जो एक समय इस कानून में वैसे ही संशोधन करने की मांग कर रहे थे, जैसे किए गए। राजनीतिक दलों के साथ–साथ तथाकथित सेक्युलर तत्वों और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने भी यह भ्रम फैलाया कि सीएए कुछ लोगों की नागरिकता छीनने का काम कर सकता है, जबकि यह कानून तो नागरिकता देने के लिए है।

सीएए का विरोध करने वाले राजनेताओं एवं उनके उकसाये लोगों को देश से जैसे कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ अपना जनाधार चाहिए। वोट चाहिए। वोटों की संकीर्ण एवं स्वार्थी राजनीति के चलते राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को तार–तार किया जा रहा है ? इन कानूनों में किसी के अहित की बात नहीं है, बल्कि जिनका अहित हुआ है, उनका हित निहित है, फिर क्यों बवाल है ? पहले किसी भी गलत बात के लिए ''विदेशी हाथ'' का बहाना बना दिया जाता था। अब कौन–सा हाथ है ? कौन चक्र चलाता है ? कौन विरोधी स्वर घोलता है? आश्चर्य की बात यह कि जब पिछले दिनों सीएए–एनआरसी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक सुर में कहा गया कि यह काँग्रेस ही है, जो लोगों को भड़का रही है। यानी यह तो तय है कि काँग्रेस की उपस्थिति देश भर में है और उसका असर जनता के एक बड़े तबके पर है। इस बात को स्वीकारते हुए काँग्रेस की ताकत को इग्नोर करना राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शाता है। काँग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर रही है, धीरे–धीरे वह अपनी खोई प्रतिष्ठा एवं जनाधार को हासिल करने में लगी है। इन स्थितियों को पाने के लिए वह सभी हदें पार कर रही है, मूल्यों एवं नीतियों को भी नजरअंदाज करने में भी उसे कोई संकोच एवं परहेज नहीं है।

भारत का विभाजन मुस्लिमों की अलग राष्ट्र की मांग की वजह से हुआ था, अतः जिन मुस्लिमों ने भारत छोड़कर अलग देश में रहना चुना, उन्होंने भारत की नागरिकता मांगने का हक खो दिया। दूसरी ओर, सीएए का विरोध करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान, बाँग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिमों के साथ भारतीय नागरिकता देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक तर्क यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में नागरिकता का फैसला किसी की आस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए। बहरहाल, अपने देश में धर्म की राजनीति नई नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में लगभग हर पार्टी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है, देश में अराजकता, हिंसा एवं अशांति की संभावना को देखते हुए ही सरकार ने इसे उचित समय पर लागू करने का सोचा। यह उग्र एवं गैरवाजिब विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसायटी के लोग ही नहीं, कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जान बूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उत्तार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना–देना नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है।

lalitgarg11@gmail.com

नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता छीनने का नहीं वरन नागरिकता देने का कानून है : रविदेव आनंद

हरिद्वार। विश्व हिन्दू परिषद के प्रान्त अध्यक्ष रविदेव आनन्द ने देश में लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बाँग्लादेश व अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर भय, भेदभाव, अत्याचार, आतंक और धर्मांतरण से पीड़ित अल्पसँख्यक समुदाय को सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी नागरिक या समुदाय की नागरिकता छीनने का नहीं वरन नागरिकता देने का कानून है। विश्व हिन्दू परिषद, उत्तराखण्ड इस ऐतिहासिक निर्णय को देश में लागू कराने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह का अभिनंदन और आभार प्रकट करती है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बाँग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता अब साफ हो गया है। इस कानून से तीनों देशों के पीड़ित अल्पसँख्यक समुदाय के व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर सम्मान और समान अधिकार के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। यह उन सभी व्यक्तियों को शरण, सम्मान और प्रतिष्ठा देने की बात भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप है, जो बाहर के देशों में धर्म के आधार पर पीड़ित और अपमान सहते हैं, तत्पश्चात भारत माता की शरण लेते हैं। विश्व हिन्दू परिषद नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों–बहनों का हार्दिक अभिनन्दन करती है।

pankajvhpharidwar108@gmail.com

सिर्फ सीएए नहीं, समान नागरिक संहिता भी लागू हो

डॉ. सुधाकर आशावादी

घर हो अथवा देश न्यायसंगत विधानों के बिना उसका संचालन संभव नहीं है। उसकी समुचित व्यवस्था के लिए उसके निवासियों की सटीक पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का रखरखाव अपेक्षित होता ही है। देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार व समान दायित्व के अनुपालन में अग्रणी रहना जरुरी है। विडंबना है कि विभेदकारी कानूनों के चलते देश में अगड़ा–पिछड़ा, दलित–सवर्ण, अल्पसँख्यक–बहुसँख्यक जैसे शब्द चलन में हैं, जिनकी सटीक व्याख्या न होने के कारण राजनीतिक दल इन शब्दों का अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति में प्रयोग करके राष्ट्रीय एकता एवं सदभावना को कलंकित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यदि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में नागरिकों के पंजीयन की पहल की जाती है, तो अलगाववादी तत्व कुतर्क करके ईमानदार प्रयास के विरोध में खड़े हो जाते हैं। देश में विदेशी घुसपैठियों के बल पर राजनीति करने वाले तत्वों को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किए जाने में भी आपत्ति है। उनका कहना है कि पाकिस्तान, बाँग्लादेश और अफगानिस्तान भारत में आने वाले हिन्दू, सिख, ईसाई व अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए ही नागरिकता का मार्ग क्यों खोला जाए, मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं ? सी.ए.ए. का विरोध करने वाले भारत के अतीत का स्मरण नहीं करना चाहते, कि जब 1947 में भारत का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था, पाकिस्तान की स्थापना इस्लामिक राष्ट्र के रूप में हुई, अफगानिस्तान और बाँग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहाँ धार्मिक कट्टरता के चलते अल्पसँख्यक अपने अस्तित्व संकट से जूझते रहे तथा उनकी सँख्या अत्याचारों के चलते दिनों दिन कम होती चली गई। मुस्लिम बहुसँख्यक इस्लामिक देशों के मुस्लिम उत्पीड़क हैं, न कि उत्पीड़ित, ऐसे में उत्पीड़ित हिन्दुओं, सिख, बौद्ध, ईसाई जैसे धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता देने वाला सीएए भेदभावपूर्ण कैसे हो सकता है? कौन नहीं जानता कि बाँग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठिए देश में अराजकता का वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिमी बंगाल का संदेशखाली हो या दिल्ली की रोहिंग्या बस्तियाँ, इनका अस्तित्व ही राजनीतिक संरक्षण से कायम है। सो राजनीतिक स्वार्थों के चलते सीएए का विरोध करने वाले तत्वों से अपेक्षा है कि वे राष्ट्रहित में आत्ममंथन करें। सबल एवं सशक्त राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में सभी नागरिकों के नाम दर्ज करके समान नागरिक संहिता लागू करना समय की मांग है, जिसके लिए अलगाववादी तत्वों के विरोध एवं न्यायकारी व्यवस्था के समर्थन में आमजन को एकजुट होना नितांत आवश्यक है।

ss.ashawadi@gmail.com

विहिप नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का स्वागत करती है : आलोक कुमार, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विहिप

नई दिल्ली, 11 मार्च। विश्व हिन्दू परिषद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देती है। पाकिस्तान, बाँग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता अब साफ हो गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे भारत में सम्मान के साथ और समान व्यक्ति के रूप में रहें।

विहिप अपने कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक संगठनों से ऐसे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करने का आह्वान करती है। यह उन सभी को शरण, सम्मान और प्रतिष्ठा देने की बात भारतीय परंपरा के अनुरूप है, जो बाहर अपमान सहते हैं और भारत माता की शरण लेते हैं।

youthivhp@gmail.com

सीएए कानून का विरोध शरीयत के अनुसार

दिव्य अग्रवाल

सीएए कानून संविधान विरोधी और UCC मजहबी विरोधी क्यों

यह कैसी विडंबना है कि जब बात सीएए कानून की हो, तो इस्लामिक कट्टरपंथी कहते हैं कि सारे धर्म और मजहब एक सामान हैं, अतः धर्म के आधार पर गैर इस्लामिक लोगों को इस कानून के अंतर्गत लाभ देना असंवैधानिक है। परन्तु यही बात जब UCC कानून की हो, तो इस्लामिक कट्टरपंथी कहते हैं कि सारे धर्म या मजहब एक समान हो ही नहीं सकते, इस्लाम पर UCC कानून लागू नहीं हो सकता, इस्लाम शरीयत से चलेगा, इसमें कानूनी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन दोनों ही मतों से एक बात तो स्पष्ट है कि इस्लामिक कटटरपंथ के लिए भारत का कानून नहीं अपितु इस्लामिक राष्ट्रों का शरीयत कानून ही सर्वप्रथम और सर्वोपरि है।

काफिर/गैर इस्लामिक की मदद शरीयत के खिलाफ

कोई भी गैर इस्लामिक जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता, शरीयत में उसकी किसी भी प्रकार की सहायता करना या सहायता होने देना नाजायज है। यही कारण है कि जिस CAA कानून का भारत के मुस्लिम समाज पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसके पश्चात भी मजहबी लोग मात्र इसलिए परेशान हैं कि जो गैर इस्लामिक समाज के लोग अन्य इस्लामिक देशों में प्रताड़ित हैं, उनको भारत में किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलनी चाहिए।

आपसी भाईचारा, समरसता या पागलपन

यह बात अलग है कि भारत का गैर इस्लामिक समाज, अपने समाज के लोग जिनका इस्लामिक देशों में निरंतर शोषण होता आ रहा है, जिनकी महिलाओं, बेटियों के साथ सामूहिक दुराचार किया जाता है, जिनकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, उनकी मदद के लिए भारत सरकार के प्रयासों का विरोध करने वाले मजहबी कट्टरपंथियों को अपना भाई–बंधु समझकर भाईचारा निभाने में ही प्रयासरत रहता है। अब यह भाईचारा समरसता का प्रतीक है या बेवकूफी का, इसका निर्णय तो भारत का गैर इस्लामिक समाज स्वयं ही कर सकता है।

divyelekh@gmail.com

१९३५ से पहले वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती थी :

आलोक कुमार अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद

भोजशाला का मामला बाकी सभी जगहों से अलग है। यहाँ पर अभी भी प्रति सप्ताह नमाज होती है, पर मंगलवार को हनुमान चालीसा और पूजा भी होती है। स्मारक अधिनियम के अंतर्गत इस स्थान को 1904 में संरक्षित घोषित कर दिया गया था। बाद में भी उस संरक्षा को दोहराया गया है। आज यह स्थान ए.एस.आई. के आधिपत्य में है। इसका आधिपत्य कभी भी मुसलमानों के हाथ में नहीं था। इसलिए इसके वक्फ संपत्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। 1935 से पहले यहाँ के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भोजशाला मंदिर लिखा हुआ है, परंतु कहीं पर भी इसको मस्जिद नहीं लिखा है।

1935 से पहले यहाँ नमाज भी कभी नहीं पढ़ी गई थी। पूजा स्थल कानून में उन सभी स्थानों के लिए एक छूट है, जो पुरातात्विक स्मारक के अंतर्गत संरक्षित नहीं हैं। इसलिए यह उसमें भी नहीं आता है। इसका मूल चरित्र क्या है? खंभों पर वराह, राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति हैं। जय–विजय द्वारपालों की मूर्ति है। इसके अलावा जमीन के अंदर का भाव क्या कहता है, इन सभी की विधिवत जांच हो रही है। इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि इसमें हिंदू समाज को न्याय मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बड़ा मकबरा है, जो कि उस सर्वे नंबर में नहीं है, जहाँ भोजशाला का मंदिर है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर देखने का कोई अर्थ नहीं है।

'मानवता में विश्वास रखने वाले कभी भी सीएए में मौजूदा संशोधन का विरोध नहीं करेंगे...'

पंकज जगन्नाथ जायसवाल

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) तीन निर्दिष्ट देशों में छह अल्पसँख्यक समुदायों के प्रवासियों/विदेशियों को भारतीय नागरिकता के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। यह मौजूदा कानूनी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं करता है, जो किसी भी वर्ग, पंथ, धर्म या समूह के विदेशियों को पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। ऐसे विदेशी को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

'सीएए लाना क्यों जरूरी था ?'

आइए डॉक्टर बाबा साहेब के शब्दों और उनके और उनकी टीम द्वारा लिखे गए संविधान से शुरुआत करें। संविधान के पहले शब्द, 'इंडिया दैट इज भारत....' भारतीय गणराज्य को एक राष्ट्र–राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं। राष्ट्र–राज्य की धारणा यह मानती है कि राष्ट्र एक ऐतिहासिक सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान का उत्तराधिकारी है, और वह उस पहचान को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, भारतीय संघ का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकता विधेयक के माध्यम से अपने पड़ोस में सताए गए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को राहत प्रदान करे। अपनी पुस्तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन में, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर विभाजन के बारे में पहले से अनुत्तरित कई विषयों को संबोधित करते हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, विभाजन प्रक्रिया संभवतः तब तक जारी रहेगी, जब तक कि पाकिस्तान का प्रत्येक हिंदू भारत वापस नहीं आ जाता। तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने यह अनुमान लगाया था कि जिन गरीब पिछड़ी, अनुसूचित जाति के हिंदुओं को हमने पाकिस्तान में छोड़ दिया है, वे निःसंदेह एक दिन इस्लामी पाकिस्तान से भारत में सुरक्षा की तलाश करेंगे। डॉ. बाबा साहेब निःसंदेह जानते थे कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामी देश के बजाए एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने उन पर विश्वास किया और बाबा साहब की आशंका इस बात को रेखांकित करती है।

'नागरिकता विधेयक इस गलती का देर से किया गया प्रायश्चित है'

जब पाकिस्तान और बाँग्लादेश में इस्लामी चरमपंथ को मिली छूट से चिंतित हिंदू अपनी जान बचाने के लिए धर्मनिरपेक्ष भारत आए, तो उन्हें तिरस्कार और तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक तरफ हत्या, बलात्कार, अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा, वहीं दूसरी तरफ भारत में लंबी कानूनी प्रक्रिया या शिविरों में कैद की चिंता। इन देशों में उत्पीड़न के शिकार हिंदू, बौद्ध और सिख विभाजन नहीं चाहते थे। उन पर विभाजन थोप दिया गया। पाकिस्तान में 1947 से और बाँग्लादेश में 1971 से जो नरसंहार हो रहा है, वह विभाजन की त्रासदी का उदाहरण है। नागरिकता विधेयक इस गलती का देर से किया गया प्रायश्चित है। हालाँकि विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, लेकिन कई हिंदू पाकिस्तान में ही रह गए। इस हिंदू समूह में कई दलित थे। भारत में

राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण 1951 में शुरू हुआ। 1971 में बाँग्लादेश की स्थापना के बाद, 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग भारत आए और वहाँ बस गए, उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में नामांकित किया गया। हालाँकि, उसके बाद जो लोग आए, उन्हें घुसपैठिया करार दिया गया। एक और बड़ा अंतर यह है कि वे घुसपैठिए के बजाए शरणार्थी हैं। धार्मिक उत्पीड़न के कारण कुछ लोग अपना देश छोड़कर भारत में शरण मांग रहे हैं। ऐसे में भारत को अपने लोगों को भारतीय नागरिकता देने में क्या दिक्कत है? अगर हिंदू भारत नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भारत वह देश है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। परिणामस्वरूप, अन्य देशों के हिंदू या विभिन्न धर्मों के व्यक्ति भारत में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह मुस्लिम विरोधी है, तो फिर से सोचें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बाँग्लादेश भारत की सीमा के करीब तीन देश हैं, जहाँ मुस्लिम बहुमत है। यहाँ रहने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सभी अल्पसँख्यक हैं। यदि इन राष्ट्रों में उन पर अत्याचार किया जाएगा, तो वे कहाँ भागेंगे ? चाहे वे कहीं भी हों, उनकी जड़ें केवल भारतीय हैं।

'क्या इन तीन इस्लामिक देशों में अल्पसँख्यकों का धार्मिक शोषण हो रहा है ?'

विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय कुल जनसँख्या का 15.16 प्रतिशत थे, जो 75 वर्षों के बाद घटकर 1.5–2 प्रतिशत रह गए हैं। शोध के अनुसार, 2002 में पाकिस्तान में 40,000 सिख थे, आज उनकी सँख्या 8000 से भी कम है। इसी तरह, 1947 में, हिंदू और बौद्ध अनुयायी बाँग्लादेश (1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान) की कुल आबादी का लगभग 30 प्रतिशत थे, जबकि आज वे 8 प्रतिशत से भी कम हैं। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में अफगान हिंदुओं और सिखों की सँख्या 7 लाख से अधिक थी, लेकिन 1990 में गृह युद्ध के बाद से इसमें लगातार गिरावट आई है और वर्तमान में यह मुश्किल से 3000 लोगों तक पहुँच गई है।

'इन तीन देशों में अल्पसँख्यकों के साथ बर्ताव कितना घातक है ? कुछ घटनाएँ'

2019 में होली की पूर्व संध्या पर, पाकिस्तान में एक ऐसी ही दुःखद घटना घटी। इस दिन सिंध प्रांत के घोटकी जिले के ढरकी में दो हिंदू नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर लिया गया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया। दोनों को शादी के लिए मजबूर किया गया। ये लड़कियाँ, रीना मेघवार (12) और रवीना मेघवार (14), मेघवार समुदाय की सदस्य हैं, जो दक्षिणी सिंध में बड़ा समुदाय है। उनका उनके घर से अपहरण कर लिया गया था।

गौरतलब है कि उसी दिन मीरपुर खास जिले से एक और हिंदू लड़की सोनिया भील का अपहरण कर लिया गया था। कुछ दिन पहले ही एक ईसाई लड़की सदफ खान (परिवर्तित नाम) का अपहरण कर लिया गया और उसे अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया। ये प्रकरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि चरम धार्मिक अपराधियों को पाकिस्तान की कानून और न्याय प्रणाली का कोई डर नहीं है, जैसा कि घटना पर सिंध पुलिस की प्रतिक्रिया से पता चलता है।

पाकिस्तान के अँग्रेजी दैनिक 'डॉन' के एक स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता के अनुसार, 'पाकिस्तान में सिंध के उमरकोट जिले में हर महीने जबरन धर्म परिवर्तन की लगभग 25 घटनाएँ होती हैं।' यह स्थान काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाले अल्पसँख्यक अनुसूचित जाति के हैं और पुलिस जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में उनकी शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। यह दुर्दशा केवल एक जिले में है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में आपदा की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है।

2007 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट प्रकाशित की। जातीय समुदायों के चल रहे विस्थापन की जांच की गई। लेख के अनुसार, 'लगभग 3,000 हिंदू और सिख यहाँ रहते हैं। कुछ साल पहले तक हिंदू, सिख, यहूदी और ईसाई धर्म के लोग यहाँ रहते थे, लेकिन तालिबान के नियंत्रण और गृह युद्ध के बाद, अधिकांश आबादी चली गई। अब यह कुल आबादी का 1 प्रतिशत से भी कम है। वर्षों के संघर्ष के दौरान, लगभग 50,000 हिंदू और सिख शरण की तलाश में दूसरे देशों में विस्थापित हो गए हैं।

'यदि इन तीन इस्लामी देशों के छह समुदाय भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो उन देशों के मुसलमान क्यों नहीं ?'

भारत ने अपनी दीर्घकालिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए, अपने अल्पसँख्यकों को पूरी आजादी के साथ–साथ आगे बढ़ने का समान अवसर दिया, जबकि पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा और परिणामस्वरूप अल्पसँख्यक विलुप्त हो रहे हैं। संशोधन के अनुसार, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन जैसे अल्पसँख्यक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बाँग्लादेश में अपने धर्म के लिए प्रताड़ित होने के बाद भारत आए थे, वे भारतीय नागरिकता हासिल कर सकेंगे। यदि भारत धार्मिक उत्पीड़न के उपरोक्त पीड़ितों को आश्रय देता है, तो इससे किसी को क्या नुकसान होता है? असहाय हिंदुओं के लिए अभयारण्य प्रदान करने से भारतीय मुसलमानों या किसी अन्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सवाल यह भी उठता है कि अगर इन तीन इस्लामिक देशों के छह समुदाय भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो उन देशों के मुसलमान क्यों नहीं? इसका सीधा उत्तर यह है कि ये तीनों देश मान्यता प्राप्त इस्लामिक राष्ट्र हैं, इसलिए वहाँ धार्मिक आधार पर मुस्लिम प्रभुत्व का कोई भी सुझाव बेतुका है।

मानवतावादियों को भारत में मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलने के लिए गलत विमर्श प्रसारित करने के बजाय इन तथ्यों की जांच करनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि कई राजनीतिक दल और उनके नेता भारत के आगामी चुनाव के मद्देनजर गैरजिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे मानवता के विरोधियों को भविष्य के चुनावों में सबक सिखाना चाहिए।

pankajjayswal1977@gmail.com

मनीषियों की सीख पर क्यों न चलें !

शंकर शरण

1940 ई. में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए बकायदा अलग देश की मांग की। यद्यपि उसके पास हिंसा के सिवा कोई तर्क नहीं था। बाद में स्वयं जिन्ना ने भी माना था कि बिना हिंसा के उन्हें पाकिस्तान नहीं मिलता। साल 1941 ई. की जनगणना के अनुसार देश की जनसँख्या 56 करोड़ थी, जिसमें मुसलमान 7 करोड़ 44 लाख थे। विभाजन में पाकिस्तान को 10.29 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र मिला, जबकि भारत को 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मिला। यह देखते हुए कि लगभग आधे मुसलमान यहीं रह गए, वस्तुतः लगभग 8 प्रतिशत मुसलमानों को देश का 24 प्रतिशत भू–भाग बंटवारे में मिल गया।

बहरहाल विभाजन के बाद मुसलमान भी मानते थे कि बचा भारत हिन्दुओं का है। जिनमें बौद्ध, सिख, जैन आदि सम्प्रदाय भी गिने जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य! जिस वैचारिक अहंकार से गाँधी–नेहरू ने मुस्लिम लीग से निपटने की कोशिश की, उसमें विफलता के बाद भी उन्होंने अपनी विचित्र जिद नहीं छोड़ी। मुसलमानों ने कभी भी गाँधी या काँग्रेस को अपना प्रतिनिधि नहीं माना था, फिर भी वे अपने को मुसलमानों का भी नेता बताते रहे। इस जिद को सही ठहराने के लिए उन्होंने फिर बचे भारत को भी हिन्दुओं के साथ–साथ मुसलमानों का भी घोषित कर दिया। तब बचा भारत हिन्दू हित–दृष्टि से चलाने पर मुसलमान और ईसाई संगठनों को केवल अपना हिन्दू विरोधी मजहबी प्रचार और धर्मांतरण बंद करना होता। उन्हें अपने धर्मानुसार प्रार्थना, उपासना, त्योहार आदि मनाने की स्वतंत्रता रहती। जो मुसलमान भारत को हिन्दू देश मानकर रहते, वे मिलजुल कर समानता से रहते।

गाँधी–नेहरू के बचकाने अहंकार को चतुर इस्लामी, ईसाई और कम्युनिस्ट नेताओं ने हवा दी। इस बीच, हिन्दुवादी मतिहीन संगठनों ने डटकर कभी आवाज नहीं उठाई कि बचा भारत सिर्फ हिन्दुओं और देशी सम्प्रदायों का है। आज सत्ता हिन्दूवादी कहलाने वालों के हाथ है, मगर वे भी 'सच्चे सेक्युलर' बनने के नाम पर गाँधी–नेहरू की तरह हिन्दू हितों की बात नहीं करते। भाजपा–परिवार के नेतागण ने कभी उस हिन्दू–विरोधी 'सेक्युलरवाद' को चुनौती नहीं दी, जिसे इंदिरा गाँधी की तानाशाही ने सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर धीरे–धीरे दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। इस अन्याय को जी–जान से ठुकरा कर हिन्दू हितों के लिए लड़ने के बजाय भाजपा ने अपने को 'सच्चा सेक्यलुरवादी' दिखाने की सोची। इसी का कुपरिणाम है कि उत्पीड़ित हिन्दू शरणार्थियों के लिए आज एक मामूली कदम उठाने पर भी वे झूठे आरोप और दंगे झेल रहे हैं।

देश के लिए नीतियाँ बनाने में स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, श्री अरविन्द, टैगोर जैसे महान चिन्तकों की शिक्षा पर चलने से मुस्लिमों में भी अधिक विवेक और भरोसा पैदा होता। उन मनीषियों ने कहा था कि भारत हिन्दू धर्म की भूमि है। यही इसका ध्येय और महत्ता है। यदि इस मूल तत्व की उपेक्षा की गई, तब अन्य क्षेत्रों में कितनी भी उन्नति होने पर भी भारत के विनाश का खतरा है।

यदि सच्चा इतिहास पढ़ा और पढ़ाया जाता तो हिन्दुओं को और मुसलमानों को भी बरगलाया नहीं जा सकता था। विभाजन के बाद यहाँ रह गए मुसलमानों में यह शर्म और अहसास था कि उन्होंने देश तोड़ कर ह्रिन्दओं को भारी चोट पहुंचाई। फिर भी उन्हें रहने देकर हिन्दुओं ने बड़ा अहसान किया। इस अहसान के साथ सच्चा सामंजस्य बनना सरल था, क्योंकि हिन्दू मानस और व्यवस्था वैसे ही उदार होती है। आज यहाँ दो–तीन पीढ़ियों से हिन्दुओं और मुसलमानों को नकली, हानिकारक और मतवादी शिक्षा दी जा रही है। सरकारी बल पर फैलाए गए कम्युनिस्टों के रचे झूठे इतिहास के दुष्प्रभाव में ही आज अनेक लेखक, पत्रकार, छात्र आत्महीन मानसिकता से ग्रस्त हैं। कभी 'टुकड़े–टुकडे़' गैंग का साथ देते हैं, तो कभी अलगाववादी, उत्पातियों का। क्योंकि उनमें अपने धर्म, संस्कृति तुलनात्मक इतिहास व दर्शन का ज्ञान नहीं है। विविध मतवादी, भोगवादी विचारों के बंदी होकर वे इस्लाम परस्ती को अपनी श्रेष्ठता समझते हैं।

योगीराज श्री अरविन्द ने हमें सीख दी थी कि सामाजिक समस्याओं को राजनीतिक या दलील नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टि से देखें। खुले हृदय से मुसलमानों के साथ भाई के समान व्यवहार करें। यानी बराबरी और सच्चाई के साथ व्यवहार। न मिथ्याचार अपनाएँ, न लड़ने से कतराएँ। वही सलाह आज भी सटीक है। जब मुसलमान अयातुल्ला खुमैनी, सद्दाम हुसैन जैसे बाहरी, भयंकर मुस्लिम रहनुमाओं के आवाहनों पर भी उठ खड़े होते रहे हैं, तो हिन्दू अपने महान ज्ञानियों–योगियों की भी सीख पर क्यों न चलें !

vskjbp@gmail.com

कट्टरता के खिलाफ काम करता है 121 मिलियन लोगों का ये इस्लामिक संगठन, 100 साल पुराना इतिहास

विनोद कुमार सर्वोदय

इस्लामिक संगठन नहदलातुल उलमा (Nahdlatul Ulama) को उसके सामाजिक कामों, शिक्षा, शांति और धार्मिक सहिष्णुता के लिए UAE के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जायद अवॉर्ड (Zayed Award) मिलने के बाद नहदलातुल उलमा के स्कॉलर उलिल अबशार–अब्दुल्ला ने कहा कि ''शांति और धार्मिक सहिष्णुता के लिए नहदलातुल उलमा एक शानदार इंडोनेशियाई मॉडल है। हमारा संगठन 121 मिलियन सदस्यों के साथ दुनियाँ का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है।'' अपने प्रयासों से ये संगठन इंडोनेशियाई फिलॉसफी पेनकासिला को देश में बनाए रखने में कामयाब हुआ है, इस फिलॉसफी का फोकस शिक्षा पर होता है।

नहदलातुल उलमा इंडोनेशिया का एक इस्लामिक संगठन है। इसकी स्थापना 1926 में इंडोनेशिया के अंदर इस्लामिक तौर तरीकों से समाज का सुधार करने के लिए की गई थी। नहदलातुल उलमा के पास शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास है। यह संगठन इस्लाम के उदारवादी विचारों का हिमायती रहा है। इसने इंडोनेशिया में इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने के लिए कई मुहिम चलाई है और माना जाता है कि कट्टरवादी इस्लाम से इंडोनेशिया को बचाए रखने में इस संगठन का बड़ा योगदान है।

इस्लामिक स्टेट से कैसे लड़ी लड़ाई ?

उलिल अबशार–अब्दुल्ला ने 'खलीज टाइम्स' को बताया कि दूसरे मुस्लिम देशों की तरह हमें भी इस्लामी अतिवाद और कट्टरपंथ की समस्या का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौतियों में इंडोनेशिया में इस्लामिक राज्य की स्थापना का विचार रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ आंदोलन ऐसे उठे जो इंडोनेशिया में इस्लामी राज्य बनाना चाहते थे, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है और इस विचार के प्रति देश के युवाओं में कुछ सहानभुति भी थी। उन्होंने आगे कहा कि ''इंडोनेशिया एक सेक्युलर देश है, जहाँ कई धर्म, तबकों के लोग रहते हैं और हमारा देश एक बहु–सांस्कृतिक देश है। हमें इसकी इसी विभिन्नता को कायम रखना है। हमारी चुनौती इस्लामिक तरीके से इंडोनेशिया की वैधता की रक्षा करना है।''

बता दें कि इंडोनेशिया पेनकासिला पर आधारित एक देश है, पेनकासिला के पांच सिद्धांत हैं–एक ईश्वर (एक ईश्वर में विश्वास), सभ्य मानवता, राष्ट्रीय एकता, विचारशील लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। देश के इसी मिजाज को बचाने के लिए नहदलातुल उलमा ने काम किया और इस्लामी शिक्षा को फैलाते हुए देश को कट्टरवाद से भी दूर रखा है।

शिक्षा पर खास ध्यान

अबशार–अब्दुल्ला ने बताया कि नहदलातुल उलमा देश भर में हजारों मदरसे और इस्लामिक स्कूल चलाता है। इन मदरसों में बहुत ही कम फीस के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, जो संयम पर आधारित है। ये शिक्षा, बहुलता, विविधता और अन्य धर्मों का सम्मान करना सिखाती है। इसके अलावा हम देश में कई जागरुक अभियान भी चलाते हैं, जिनमें युवाओं को इस्लाम में दूसरे धर्म के सम्मान की अहमियत के बारे में बताया जाता है।

साभार : टीवी 9 भारतवर्ष

शांति का मूलः त्याग

आचार्य राघवेंद्र दास

हिंदू समाज में त्याग की महिमा व महत्ता है। राजा से सामान्य जन तक को त्याग के कारण ही श्रद्धेय माना गया। यहाँ त्यागयुक्त व्यक्ति का सामाजिक सम्मान भी वर्ण और आश्रम को लांघते हुए होता रहा है। हिन्दू आर्ष ग्रंथ ऐसे उद्धरणों का साक्षी है। त्याग को भिन्न–भिन्न ग्रंथों में अनेकों प्रकार से व्याख्यायित किया है। सभी परिभाषाओं में समानता यह है कि कामनाओं या कर्म–फल का त्याग करना, कर्मों का नहीं अर्थात् ड्यूटी का नहीं, त्याग कर्मफल से उत्पन्न सुख–दुःख का (Renunciation of happiness and sorrow resulting from consequences). महाभारतस्थ शान्तिपर्वान्तर्गत पितामह भीष्म–युद्धिष्ठिर संवाद को पिंगला–गीता कहते हैं, उक्त गीता में कहा गया–

किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्।
तदेव परितापार्थं सर्वं सम्पद्यते तथा।।
यद् यत् यजति कामनां तत् सुखस्याभिपूर्यते।
कामानुसारी पुरुषः काममननुविनश्यति।।

(पिंगला–गीता, 44–45)

मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वे ही सब उसके वैसे दुःख के कारण बन जाते हैं। वह कामनाओं में से जिस–जिस का परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्मृतियाँ संन्यास का निरूपण करती हैं और इसके बारे में विशद विवेचन करती हैं। जिसमें सामान्य तथ्य यह है कि संन्यासी को विरागी–त्यागी होना चाहिए। किन्तु, श्रीमद्भगवद्गीता की संन्यासी के संबंध में टिप्पणी अतिमहत्वपूर्ण है–

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।।

(श्रीमद्भगवद्गीता, 6.1)

अर्थात जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला संन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। ऊपर उल्लिखित श्लोक में वास्तविक संन्यासी उसे कहा गया, जो कर्मफल आश्रय का त्याग करता है। वस्तुतः श्रीमद्भगवद् गीता का संन्यास कर्मयोग के साथ एकत्वता की सिद्धि है। यही किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की समृद्धि का सूत्र भी। अमूमन किसी भी कार्य के यश को लेने के लिए मानव मन स्वभाविक रूप से आकर्षित होता है, वहीं अपयश को दूसरे पे डालना चाहता है, जबकि त्याग भाव वाला व्यक्ति यश व अपयश दोनों को दूर से ही प्रणाम करता है। कबीर साहब ने ऐसे ही त्यागियों के लिए कहा है "कर्म करो और रहो अकर्मी"। संसार के सद्भाव और शांति का मूल त्याग है, इसके संदर्भ में शम्पाक गीता का निम्न श्लोक द्रष्टव्य है–

नात्यक्त्वा सुखमापनोति नात्यक्त्वा विन्दते परम् ।
नात्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव ।।

(शम्पाक गीता, 22)

अर्थात कोई मनुष्य त्याग किये बिना सुख नहीं पाता, त्याग किये बिना परमात्मा नहीं पा सकता और त्याग किये बिना निर्भय सो नहीं सकता, इसलिये त्याग कर सुखी हो जाओ।

संसार की लगभग लड़ाइयों का मूल अतृप्त स्वभाव वाला भोगेच्छा है। बाजारी सभ्यता के युग में तो यह सर चढ़कर बोल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अनवरत दोहन और मानव को मशीन में परिवर्तित करना, मानो यही इसका मूल मंत्र हो। ऐसे में संसार और मनुष्य के अस्तित्व पर भौतिक–विज्ञानियों की टिपण्णियाँ चिंतित भी करती हैं और संसार के कल्याण का प्रशस्त सूत्र हिन्दू–दर्शन में दिखता है। हमारे यहाँ कई सम्राट त्याग व वैराग्य के साक्षात् प्रतिमूर्ति रहे हैं। ऐसे ही सम्राटों में एक बड़ा और यशस्वी नाम है–भर्तृहरि। उक्त राजा द्वारा रचित 'वैराग्यशतक' का श्लोक प्रासंगिक है–

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।।
कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ।

इसका अर्थ है– भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें ही भोग लिया। तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम खुद तप गए, समय कहीं गया नहीं बल्कि हम स्वयं चले गए और मेरी कुछ पाने की तृष्णा नहीं गयी बल्कि हम स्वयं जीर्ण हो गए।

श्रीमद्भगवद् गीता कहती है–"त्यागात्शान्तिरनन्तरम्"। करीब–करीब संसार के सारे झगड़े, तकलीफें और फसादें त्याग के अभाव के कारण हैं। इसे व्यक्तियों के संघर्ष से लेकर राष्ट्रों के संघर्ष तक देखा जा सकता है। हिन्दू जनमानस में या सम्पूर्ण विश्व मानस में दाशरथि राम जिस आदर्श को प्राप्त हैं, वह त्यागमय जीवन के कारण। महर्षि वेदव्यास प्रभु श्रीराम के संबंध में लिखते हैं–

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगात् अरण्यम् ।
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ।।

(श्रीमद्भागवत् पुराण, 11.5.34)

अर्थात रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वाञ्छनीय और दुस्त्यज राज्यलक्ष्मी को छोडकर आपके चरण–कमल वन–वन घूमते फिरे ! सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा हैं और महापुरुष ! अपनी प्रेयसी सीताजी के चाहने पर जान–बूझकर आपके चरण–कमल मायामृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा हैं। प्रभो ! मैं आपके उन्हीं चरणारबिन्दों की वन्दना करता हूँ'।।

उक्त हिन्दू शास्त्रीय उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि लोक व विश्व मंगल त्याग में निहित है, भोग अथवा लूट में नहीं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति त्याग के आधार पर टिकी है। यहीं शांति का मूल भी है।

परावर्तन समरसता यज्ञ

पटना। पटना जिले के बिहटा प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 240 सदस्यों का परावर्तन समरसता यज्ञ के माध्यम से हुआ। हवन यज्ञ में सभी बन्धुओं ने आहूती डाली और पुनः सनातन के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समरसता प्रमुख संदीप कुमार ने कहा कि हिन्दू धर्म ही नहीं बल्कि जीवन पद्धति है, जिस पर चल कर सृष्टि की आध्यात्मिक शक्तियों को अनुभव किया जा सकता है। प्रान्त संगठन मंत्री चितरंजन कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के कार्य और बढ़ाएगी तथा ग्राम–ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वाबलम्बन के लिए टोली बनाकर कार्य करेगी। लोभ–लालच और जबरन धर्मांतरण न हो, इसके लिए प्रत्येक ग्राम में धर्म प्रसार की टोली कार्य करेगी। कार्यक्रम में सत्संग प्रमुख रमेश मिश्र, सेवा प्रमुख किरण कुमार, उपेन्द्र तिवारी, उपेन्द्र बजरंगी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

chitranjan1964@gmail.com

हिंदू अनुष्ठानों में सर्वऔषधि के आध्यात्मिक और औषधीय सार

डॉ. आनंद मोहन
सहयोगी - आकांक्षा शुक्ला, सबरीन बशीर, अग्रताबेन वधेल, आलोक मोहन

हिंदू अनुष्ठानों में, प्रत्येक सामग्री का गहरा महत्व है, जो परंपरा, आध्यात्मिकता और औषधीय ज्ञान के धागों को एक साथ बुनता है। इन प्रसादों में, सर्वऔषधि प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और भक्ति, श्रद्धा के एक शक्तिशाली अवतार के रूप में खड़ा है। जड़ी–बूटियों का यह अनूठा मिश्रण, अपने असाधारण औषधीय गुणों के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। हिंदू पूजा के केंद्र में भेंट का कार्य निहित है, एक पवित्र संकेत जो परमात्मा के सामने विनम्रता और भक्ति का प्रतीक है। सर्वऔषधि, आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों के सामंजस्यपूर्ण समामेलन के साथ, एक जरिया बन जाता है, जिसके माध्यम से भक्त देवताओं से बेहतर स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। पूजा के दौरान प्रार्थनाओं और मंत्रों के पाठ के माध्यम से, भक्त प्रत्येक प्रसाद को श्रद्धा से भर देते हैं, इन जड़ी–बूटियों की उपचार ऊर्जा से अपने अस्तित्व को शुद्ध और जीवंत करने के लिए आह्वान करते हैं।

सर्वऔषधि में आमतौर पर गुग्गुलु, गिलोय, नीम, हल्दी, चंदन, कपूर और विभिन्न सुगंधित रेजिन जैसी जड़ी–बूटियों का संयोजन होता है। प्रत्येक जड़ी बूटी को उसके विशिष्ट गुणों और मिश्रण के समग्र अनुष्ठानिक महत्व में योगदान के लिए चुना जाता है। हवन समारोहों में सर्वऔषधि का उपयोग हिंदू परंपरा में गहराई से निहित है और माना जाता है कि यह पर्यावरण को शुद्ध करता है, नकारात्मकता को साफ करता है। इसे कई धार्मिक समारोहों का एक अनिवार्य घटक माना जाता है और पवित्र अग्नि को श्रद्धा और भक्ति के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में पेश किया जाता है।

आयुर्वेद में, 'सर्वऔषधि' आमतौर पर विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के संयोजन से बने एक मिश्रण या निर्माण को संदर्भित करता है। संस्कृत में 'सर्वऔषधि' का शाब्दिक अनुवाद 'सर्व–उपचार' या 'सार्वभौमिक चिकित्सा' है,

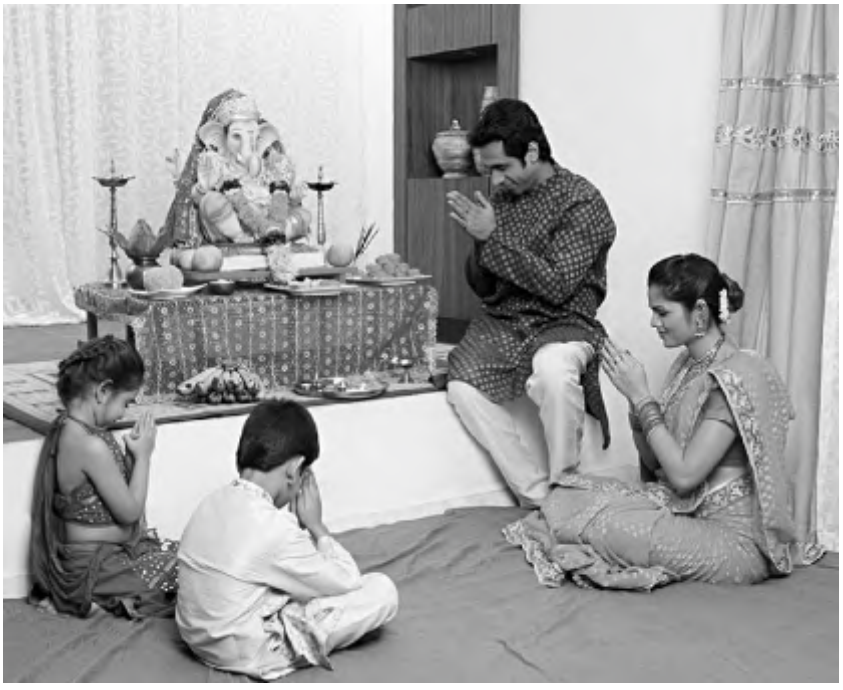

जो चिकित्सीय प्रभावों के अपने व्यापक वर्णक्रम को दर्शाता है। विभिन्न स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए शक्तिशाली औषधीय मिश्रणों को बनाने के लिए कई जड़ी–बूटियों के संयोजन की परंपरा के साथ संरेखित है। ये सूत्र अक्सर आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जो प्रत्येक जड़ी बूटी के अद्वितीय गुणों (गुण), स्वाद (रस), और पाचन के बाद के प्रभावों (विपाक) के साथ–साथ उनकी सहक्रियात्मक अन्तः क्रिया पर निर्भर करती हैं।

आयुर्वेदिक अभ्यास में, सर्वऔषधि की तैयारी व्यक्तिगत संविधान (प्रकृति), असंतुलन (विकृति) और विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। सर्वऔषधि मिश्रणों के लिए चुनी गई जड़ी–बूटियों को आमतौर पर उनके पूरक कार्यों के लिए चुना जाता है, जिसका उद्देश्य शरीर में संतुलन बहाल करना और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। आम जड़ी बूटी को सर्वऔषधि योगों में शामिल किया जा सकता है। ये जड़ी–बूटियाँ अपने चिकित्सीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं और सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का समर्थन करने के लिए उपयोग की जाती रही हैं, जिसमें प्रतिरक्षा कार्य, पाचन, तनाव प्रबंधन और समग्र जीवन शक्ति शामिल है।

सर्वऔषधीय कारकों के वैज्ञानिक एवं औषधिय गुण

जटामांसी – जटामांसी का वैज्ञानिक नाम नारदोस्टैचिस जटामांसी है। यह यकृत रक्षात्मकः, अवसादरोधी, आक्षेपरोधी, कार्डियो सुरक्षात्मक, कवक रोधी, जीवाणुरोधी, एंटीपार्किंसंस एवं हाइपोलिपिडेमिक गतिविधियाँ दर्शाता है। इसके अलावा, कैंसर के उपचार के कारण बालों के विकास के लिए जटामांसी का अध्ययन किया गया था। परिणामों ने इस पौधे की केश विकास संवर्धन गतिविधियों की पुष्टि की। केश विकास अध्ययन न केवल केशों के विकास पर अर्क के प्रभाव को देखने के

लिए डिजाइन किया गया था, बल्कि जटामेंसिक एसिड और नारदीन नामक पृथक अंश पर भी था। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि जटामांसी स्तन कैंसर के लिए एंटीकैंसर एजेंटों के विकास के लिए एक उत्कृष्ट स्रोत के रूप में काम कर सकता है।

वचा – वचा का वैज्ञानिक नाम एकोरस कैलमस है और यह अपने गहन औषधीय मूल्यों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है। इसका उपयोग अस्थमा, गठिया, नसों का दर्द, दस्त, अपच, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रिक झिल्ली की सूजन, स्ट्रोक, खांसी, सर्दी आदि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के खिलाफ चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में किया गया है। इसके अलावा, यह पौधा हृदय रोगों, मधुमेह, कैंसर आदि जैसी सबसे आम और खतरनाक पुरानी बीमारियों के खिलाफ भी प्रभावी पाया गया है। इसके औषधीय गुणों के अलावा, यह एक कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है। जीवन्त प्रयोगों में वचा की ताजा जड़ों और प्रकंद से जलीय अर्क के घाव भरने के प्रभाव, साथ ही अन्य प्रयोगों में इसकी सूजनरोधी गतिविधि, पारंपरिक अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है।

कुठ – कुठ का वैज्ञानिक नाम डोलोमिया कॉस्टस है, यह एक आयुर्वेदिक औषधीय पौधा, लंबे समय से अपने बहुआयामी चिकित्सीय गुणों के लिए चिकित्सा की विविध स्वदेशी प्रणालियों में मान्यता प्राप्त है और इसका बहुमुखी उपयोग किया जाता है, जिसमें सूजनरोधी, वातहर, बलगम निस्सारक, गठियारोधी, रोगाणुरोधक, कामोद्दीपक, पीड़ा–नाशक, जीवाणुरोधी, एंटीऑक्सिडेंट और एंटीकैंसर और एंटीडायबिटिक प्रभाव शामिल हैं।

शिलाजीत – शिलाजीत का मुख्य कारक पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम एस्फाल्टम पंजाबियेनम हैं, जो कि विभिन्न महाद्वीपों में चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक खनिज यौगिकों में से एक है। उत्साहजनक रूप से, शिलाजीत के कुछ स्वास्थ्य दावों को अच्छी तरह से डिजाइन और वैज्ञानिक रूप से इन विट्रो और पशु अध्ययनों में मान्य विधियों द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। इनमें ऊर्जा वृद्धि, एंटीऑक्सीडेंट, सूजनरोधी, एंटीडायबिटिक, न्यूरो–सुरक्षात्मक, शुक्राणुजनित, एंटीअल्सर और सीखने–स्मृति बढ़ाने वाले गुण शामिल हैं। एंटीडायबिटिक, स्पर्मेटोजेनिक और टेस्टोस्टेरोन वृद्धि कारक के समर्थन में बहुत सारे अध्ययन किये गये हैं, जिनके प्रभाव सकारात्मक पाए गये हैं।

हल्दी – हल्दी एक शाकाहारी सदाबहार पौधा है। हल्दी (करकुमा लोंगा) का उपयोग भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में मसाले, खाद्य संरक्षक और रंग सामग्री के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके पाक उपयोगों के अलावा, हल्दी का उपयोग पूरी दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा में व्यापक रूप से किया गया है। करक्यूमिन (डाइफेरुलॉयलमीथेन), हल्दी के मुख्य पीले जैवसक्रिय घटक जैविक कार्यों की एक विस्तृत वर्णक्रम है, इनमें इसकी एंटीइंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सिडेंट, एंटीकार्सिनोजेनिक, एंटीम्यूटाजेनिक, थक्कारोधी, एंटीफर्टिलिटी, एंटीडायबिटिक, जीवाणुरोधी, एंटिफंगल, एंटीप्रोटोजोअल, एंटीवायरल, एंटीफाइब्रोटिक, एंटीवेनम, एंटीअल्सर, हाइपोटेंशन और हाइपोकोलेस्टेरिक गतिविधियाँ शामिल हैं। पारंपरिक आयुर्वेद के लिए, हल्दी का पौधा एक उत्कृष्ट प्राकृतिक एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक, सूजनरोधी और एनाल्जेसिक है, जबकि साथ ही साथ पौधे का उपयोग अक्सर पाचन में सहायता के लिए, आंतों के सुधार करने और त्वचा की जलन के इलाज के लिए किया जाता है।

दारू हल्दी – दारू हल्दी का वैज्ञानिक नाम बर्बेरिस एरिस्टेट है, यह एक भारतीय औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता है। इसे भारतीय बेरबेरी, दारू हरिद्रा, दारू हल्दी, दर्वी और चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा एंटी–पाइरेटिक, एंटी–बैक्टीरियल, एंटी–माइक्रोबियल, एंटी–हेपेटोटॉक्सिक, एंटी–हाइपरग्लाइकेमिक, एंटी–कैंसर, एंटी–ऑक्सीडेंट और एंटी–लिपिडेमिकेजेंट के रूप में उपयोगी है। बर्बेरिस एरिस्टेट अर्क और इसके योगों का दस्त, बवासीर, स्त्री रोग संबंधी विकारों, एचआईवी–एड्स, ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह, आँख और कान के संक्रमण, घाव भरने, पीलिया, त्वचा रोगों और मलेरिया बुखार के उपचार में भी उपयोग किया जाता हैं।

पुनर्नवा – पुनर्नवा का वैज्ञानिक नाम बोअरहेविया डिफ्यूजा है, जो अपनी विभिन्न औषधीय और जैविक गतिविधियों जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव, इम्यूनोसप्रेसिव, एंटीमेटास्टेटिक, एंटीऑक्सिडेंट, एंटीडायबिटिक, एंटीप्रोलिफेरेटिव और एंटीस्ट्रोजेनिक, एनाल्जेसिक, सूजनरोधी, जीवाणुरोधी, एंटीस्ट्रेस और एडॉप्टोजेनिक,

एंटी–लिम्फोप्रोलिफेरेटिव जैसी विभिन्न औषधीय और जैविक गतिविधियों के कारण फाइटोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत महत्व प्राप्त करता है।

शटी चंपक – शटी चंपक का वैज्ञानिक नाम मैगनोलिया चंपाका है। एशियाई देशों में एक पारंपरिक औषधीय पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मैगनोलिएसी परिवार से संबंधित है और इसका उपयोग कई बीमारियों के उपचार और इलाज के लिए किया जाता है, जैसे दस्त, सामान्य सर्दी के लक्षण, उच्च रक्तचाप, गैस्ट्रिक विकार और अपच, बुखार, गठिया और दर्द, फोड़े और संक्रमण, कष्टार्तव और सूजन। पौधे को शोधकर्ताओं द्वारा, विशेष रूप से छाल के एंटीऑक्सिडेंट, रोगाणुरोधी और हाइपोग्लाइसेमिक गतिविधियों के लिए सूचित किया गया है।

मुस्ता – मुस्ता का वैज्ञानिक नाम साइपरस रोटंडस है, जिसे आमतौर पर नागरमोथा के नाम से जाना जाता है, पूरे भारत में पाया जाता है। शोध अध्ययनों से पता चला है कि इसमें विभिन्न औषधीय गतिविधियाँ जैसे मूत्रवर्धक, वातहर, कृमिनाशक विज्ञान, एनाल्जेसिक, सूजनरोधी, एंटी–पेचिश, एंटीह्यूमेटिक गतिविधियाँ हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक बुखार, पाचन तंत्र के विकारों, कष्टार्तव और अन्य विकृतियों के इलाज के लिए मुस्ता या मुस्ता मूल चूर्ण नामक पौधे का उपयोग करते हैं। आधुनिक वैकल्पिक चिकित्सा मतली, बुखार और सूजन के इलाज के लिए पौधे का उपयोग करने की सलाह देते हैं, दर्द में कमी के लिए, मांसपेशियों की समस्याएँ और कई अन्य विकारों के लिए। इसके अलावा, इसमें कीट विकर्षक, कीटनाशक, रोगाणुरोधी, एंटीम्यूटाजेनिक, एंटीमलेरियल, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीकॉन्वेलसेंट और एंटीऑक्सीडेंट, जीवाणुरोधी, एंटीप्लेटलेट, लिपिड कम करने की गतिविधि, घाव भरने की गतिविधि भी शामिल है।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वऔषधि के मुख्य कारक विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर हैं और इनका सम्मिश्रित इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की बीमारी एवं रोगो से निवारण प्रदान करता है। प्राचीन भारत के इतिहास में इसका इस्तेमाल अनेकों जगहों पर एवं विभिन्न पुस्तकों में उल्लिखित है। नवीन युग में भी हम इसका इस्तेमाल करके विभिन्न रोगों एवं मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं।

यूसीसी लागू करना उत्तराखंड सरकार की बड़ी राजनीतिक पहल : मिलिंद परांडे

हरिद्वार, 19 मार्च। विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने यूसीसी लागू करने पर उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मिलिंद परांडे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यूसीसी लागू कर बड़ी राजनीतिक पहल की है। अवैध मतांतरण पर भी रोक लगे इसके लिए यूसीसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए विश्व हिन्दू परिषद लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड सरकार को यूसीसी के तहत राज्य में अवैध मतांतरण गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। दूसरे मत में गए लोग यदि वापस हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं, तो विश्व हिन्दू परिषद इसमें सहयोग करेगी और समाज को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। सीएए लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए मिलिंद परांडे ने कहा कि सीएए कानून के तहत बाँग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिन्दू, सिख, जैन, इसाई, बौद्ध आदि धर्मो के भारत में रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए विश्व हिन्दू परिषद पूरा प्रयास करेगी।

सीएए का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए सीएए का विरोध करने वाले हिंदू हितों का भी विरोध कर रहे हैं। मिलिंद परांडे ने कहा कि मुसलमानों को अपने नेतृत्व, जो उन्हें मजहबी कट्टरता की तरफ लेकर जा रहा हैं, पर विचार करना चाहिए और समय रहते उसे बदल देना चाहिए।

प्रेसवार्ता के दौरान विश्व हिन्दू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सोहन सिंह सोलंकी, प्रांत मंत्री धीरेंद्र शर्मा, प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रचार प्रसार विभाग के प्रांत प्रमुख पंकज चौहान, बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया, अमित कुमार, कुलदीप कुमार आदि भी मौजूद रहे।

सेहत के लिए प्राकृतिक चटनियाँ खाइये

भोजन में रूचि जगाने के लिए प्राकृतिक तरीके से चटनियाँ बनायें। इनमें स्वाद तो होता ही है, सभी पोषक तत्व भी होने से सुरक्षित रहते हैं, जो सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं। सभी विटामिन्स एवं खनिज लवणों से युक्त चटनियाँ अपने भोजन में सम्मिलित कर भोजन का स्वाद बढ़ायें। गुड़ तथा आंवला चूर्ण रूचि के अनुसार मिला लें।

100 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम धनिया पत्ती, दो हरी मिर्च, 20 ग्राम अदरक तथा स्वादानुसार नमक, जीरा, भुनी हींग मिलाकर पीस लें। यह चटपटी चटनी भूख बढ़ाती है। इससे जठराग्नि तेज होती है।

कच्चा नारियल 100 ग्राम, धनिया पत्ती 50 ग्राम, दो हरी मिर्च, नमक तथा भुना जीरा, अजवायन स्वादानुसार मिलाकर थोड़ा–सा पानी भी मिला लें जिससे पीसने में आसानी हो। यह चटनी स्वाद बढ़ाने के लिए तथा संधिवात में लाभदायक है।

मूगंफली के दाने 50 ग्राम लेकर 200 ग्राम पानी में 8 घंटे भिगोकर रखें, तत्पश्चात उसे 50 ग्राम दही, 50 ग्राम धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च तथा भुना जीरा, अजवायन, हींग के साथ पीस लें। चटनी तैयार है।

100 ग्राम आंवला (गुठली हटाकर), उसमें धनिया की पत्ती 100 ग्राम, अदरक, हरी मिर्च, नमक, जीरा, अजवायन मिलाकर पीस लें। यह चटनी विटामिन 'सी' से भरपूर है। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है।

धनिया पत्ती 100 ग्राम, मुनक्का 20 ग्राम, 20 ग्राम खजूर, अदरक 10 ग्राम, हरी मिर्च, काला नमक, दही, जीरा, काली मिर्च, अजवायन को स्वादानुसार मिलाकर, पीसकर नीबू का रस मिला दें। यदि आवंला उपलब्ध हो तो आंवला पीसकर मिला दें। यह चटनी पाचक, स्वादिष्ट एवं पित्तनाशक है।

50 ग्राम पकी हुई इमली की गरम पानी में आधा घंटा भिगो दें, तत्पश्चात खूब मसलकर छान लें। इसमें हरी मिर्च, हींग, जीरा, अजवायन, हरा पुदीना, अदरक एवं गुड़ अपनी रूचि के अनुसार मिला लें। यह चटनी पेचिस के रोगी के लिए बड़ी लाभप्रद होती है।

50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम अनारदाना तथा छुहारा 50 ग्राम 8 घंटे पानी में भिगोकर रखें। छुहारे की गुठली निकाल दें। नारियल 50 ग्राम तथा पुदीना, धनिया, अदरक, काली मिर्च तथा नमक स्वादानुसार मिलाकर पीस लें, थोड़ा–सा नीबूं का रस मिलाकर चटनी खाइये। यह चटनी एनीमिया दूर कर खून बढ़ाती है।

10 ग्राम अमरूद, 50 ग्राम अनारदाना तथा 1–2 हरी मिर्च, काला नमक, सफेद नमक स्वादानुसार मिलाकर पीस लें, यह कब्ज निवारक होती है।

पुदीने की पत्तियाँ 100 ग्राम तथा 50 ग्राम धनिया पत्ती, 100 ग्राम दही, 2 हरी मिर्च स्वादानुसार नमक मिलाकर पीस लें। यह गैस, अपच को दूर करती है।

खजूर 100 ग्राम, लौकी 50 ग्राम, बंद गोभी 50 ग्राम, अमरुद का गूदा 50 ग्राम (बीज निकाल दें)। जीरा, अजवायन, हरी मिर्च, धनिया, अदरक, नींबू का रस, सेंधा नमक स्वादानुसार मिलाकर पीस लें। यह चटनी कब्ज दूर करती है। रक्तचाप संतुलित करती है तथा हीमोग्लोबिन बढ़ाती है।

100 ग्राम सेब, 50 ग्राम पत्ता गोभी, 50 ग्राम गाजर, 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम खजूर एवं अदरक, सेंधा नमक, हरी मिर्च तथा जीरा, अजवायन भूनकर स्वाद के अनुसार मिलायें। यह चटनी हृदय रोग, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए लाभदायक है।

कच्चा आम 100 ग्राम, धनिया पत्ती 100 ग्राम, हरा पुदीना 100 ग्राम, अदरक 5 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम तथा हरी मिर्च, नमक, जीरा, अजवायन, हींग आदि स्वादानुसार मिलाकर चटनी बनायें। गर्मी के दिनों में यह चटनी लाभप्रद है।

हिंदू नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आध्यात्मिक समृद्धि की यात्रा पर नई दिल्ली से तीर्थयात्रा शुरू की

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए प्रतिनिधि दो सप्ताह की हिंदू नेताओं की परिवर्तनकारी तीर्थयात्रा पर निकलने के लिए नई दिल्ली पहुँचे हैं। हिंदू संगठनों, मंदिरों और संघों (HOTA) फोरम के सहयोग से न्यूजीलैंड की हिंदू परिषद द्वारा आयोजित यह तीर्थयात्रा, प्रतिभागियों के बीच समावेश और सांस्कृतिक आदान–प्रदान की भावना को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

14 से 28 मार्च, 2024 तक निर्धारित, सावधानीपूर्वक तैयार की गई यह तीर्थयात्रा आध्यात्मिकता, संस्कृति, इतिहास और धार्मिक महत्व के साथ गहराई से जुड़े अनुभवों की एक समृद्ध और विविध श्रृंखला का वादा करती है। 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन और वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारे की हालिया बहाली से प्रेरणा लेते हुए, तीर्थयात्रा, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक गहन सार्थक यात्रा के रूप में सामने आने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली से शुरू होकर, तीर्थयात्रा कुरूक्षेत्र, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, आगरा, प्रयागराज, काशी (वाराणसी), सारनाथ, अयोध्या सहित कई पवित्र स्थानों से होकर गुजरेगी और वापस नई दिल्ली में समाप्त होगी। तीर्थयात्रियों को इन प्रतिष्ठित स्थलों की समृद्ध विरासत और इतिहास में डूबने का अवसर मिलेगा, जो जानकार स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित होंगे, जो प्रत्येक स्थान के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

तीर्थयात्रा के मुख्य आकर्षणों में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर विशेष दर्शन शामिल हैं। तीर्थयात्री गंगा आरती, नाव की सवारी और वाराणसी में जीवंत होली समारोह में भाग लेने सहित विशेष अनुभवों का आनंद लेंगे।

आध्यात्मिक मुठभेड़ों के अलावा, तीर्थयात्री वैदिक शिक्षाओं, योग और ध्यान में प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं, योग कक्षाओं और आध्यात्मिक वार्ता में शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने वाली उल्लेखनीय हस्तियों में साध्वी ऋतंभरा जी, योग गुरु बाबा रामदेव जी, स्वामी चिदानंद मुनिजी और डॉ. चिन्मय पंड्या जी शामिल हैं।

इसके अलावा तीर्थयात्रा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुभवों का मिश्रण प्रदान करती है, जिसमें शहरों में प्रतिष्ठित स्थलों की यात्रा भी शामिल है। खरीददारी के शौकीनों को लखनऊ में खरीदारी भ्रमण सहित स्थानीय बाजारों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।

जैसे ही प्रतिनिधिमंडल इस आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा पर निकलता है, वे अपने साथ हिंदू धर्म के लोकाचार को मूर्त रूप देते हुए एकता, सद्भाव और ज्ञानोदय की आकांक्षाएँ लेकर जाते हैं। यह तीर्थयात्रा सांस्कृतिक आदान–प्रदान और आध्यात्मिक कायाकल्प की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो प्रतिभागियों को हिंदू आध्यात्मिकता और विरासत के सार में गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित करती है।

''जब हम इस सावधानीपूर्वक आयोजित यात्रा पर निकले, तो प्रत्येक प्रतिनिधि से निकलने वाले उत्साह को देखना वास्तव में सुखद था। इस यात्रा ने न केवल अविस्मरणीय रोमांच की

पेशकश की, बल्कि हमें एक साथ लाया, सौहार्द और एकता को बढ़ावा दिया, ''इस यात्रा के समन्वयक और हिंदू काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड के अध्यक्ष डॉ गुना मैगेसन ने कहा।

प्रतिभागियों की कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं

'यात्रा ने मुझे अचंभित कर दिया, शब्द भावनाओं की गहराई को पकड़ने में विफल रहे, क्योंकि मैंने खुद को शांति में डुबो लिया और अपने भीतर नई शक्ति की खोज की' – सुधा लोधिया

''यह तीर्थयात्रा महज एक यात्रा नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी ओडिसी है, जो भीतर आध्यात्मिक सशक्तिकरण को प्रज्जवलित करती है। परंपरा से जुड़े प्रतिष्ठित स्थलों से लेकर नए अनावरण किए गए अयोध्या मंदिर तक, यह यात्रा ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए एक ऐसा अवसर है, जिसे चूकना नहीं चाहिए' – शांतिलाल प्रेमा

''इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए जाने पर, हमें इसमें भाग लेने के लिए एक अनूठा आकर्षण महसूस हुआ। अपने यात्रा कार्यक्रम में कई पवित्र स्थलों को शामिल करते हुए, हम उत्सुकता से इस यात्रा पर निकले, इसके गहन महत्व के लिए आभारी हैं' – मधुभाई पटेल

''भारत यात्रा का सार हमारी प्राचीन विरासत के खजाने में गहराई से उतरना, हमारे पवित्र स्थलों के चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देखना था। ऐसे अवसर की लालसा में, मैंने इस यात्रा पर निकलने का अवसर जब्त कर लिया, खुद को अनुभव में डुबाने के लिए उत्सुक था'' – हसमुख भाई मैसुरिया

''भारत यात्रा पर निकलते हुए, मैं महाभारत और रामायण की अयोध्या के पौराणिक परिदृश्यों के साथ मुठभेड़ के माध्यम से गहन संवर्धन की आशा करता हूँ। इसके अलावा, काशी हमारी सांस्कृतिक विरासत के ताने–बाने में जटिल रूप से बुना हुआ एक शाश्वत अभयारण्य का इंतजार कर रहा है, जो कालातीत अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक अनुगूंज का वादा करता है'' – गौतम कोठारी

''भारतीयों के रूप में, हम अपने देश की लुभावनी सांस्कृतिक विरासत स्थलों का पता लगाने के अवसर को गर्व के साथ स्वीकार करते हैं, प्रत्येक हमारे समृद्ध इतिहास और विविधता का प्रमाण है। सचमुच ऐसे क्षण ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि क्यों भारत को 'अतुल्य भारत' कहा जाता है'' – दीपाली शेट्टी

''यह भारत तीर्थयात्रा सबसे समृद्ध अनुभवों में से एक के रूप में सामने आई है, जो मन को अद्वितीय शांति प्रदान करती है। प्रत्येक विवरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और दोषरहित ढंग से क्रियान्वित किया गया। मैं वास्तव में इस यात्रा का हिस्सा बनकर धन्य महसूस कर रही हूँ, यह जानते हुए कि यह उन चमत्कारों की शुरुआत है, जो हमारा इंतजार कर रहे हैं'' – उमा चोपड़ा

hindu.nz@gmail.com

गया में दक्षिण बिहार की प्रांत कार्यसमिति की बैठक का आयोजन

प्रांत मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

कुल समितियाँ–874, कुल सत्संग–161, बलोपासना केंद्र–8, शक्ति साधना केंद्र–4, बाल संस्कार केंद्र–18, कुल सेवा कार्य–62, कुल गौरक्षा कसाईयों से गोवंश मुक्त कराया–3200, परावर्तन –250, हिन्दू कन्या रक्षा–13, युवाओं को रोजगार–12। भारत और दक्षिण कोरिया मैत्री के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों की पदयात्रा कर रहे सैकड़ों बौद्ध भिक्षुक का विश्व हिन्दू परिषद ने भभुआ, रोहतास, अरुण नगर बोधगया में जोरदार स्वागत किया तथा आशीर्वाद लिया, जो चर्चा का भी विषय बना रहा।

धर्माचार्य सम्पर्क विभाग

12 जिलों में धर्माचार्य संपर्क प्रमुख नियुक्त है। श्रीरामजन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हेतु सनातनी परंपरा के अतिरिक्त सिख व बौद्ध परंपरा के संतों से भी संपर्क कर उन्हें आमंत्रण दिया, जिनमें संत 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए।

बजरंग दल

वर्तमान में बजरंग दल के 6 विभागों में विभाग संयोजक हैं। 125 प्रखंड में संयोजक हैं तथा कुल 263 संयोजक हैं, 124 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन केंद्र तथा 8 बलोपासना केंद्र हैं। बजरंग दल के माध्यम से 12 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 3200 गौवंश की रक्षा की गई। शस्त्र पूजन के 16 कार्यक्रम हुए, 427 की उपस्थिति थी। 19 स्थानों में 126 वृक्ष लगाए गए। 43 स्थानों पर शौर्य दिवस हुआ, जिसमें 2074 की उपस्थिति थी। सेवा सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं। 16 प्रखंड में मासिक वर्ग भी संचालित है।

शौर्य जागरण यात्रा के द्वारा 1920 ग्राम तथा 260 प्रखंडों की सहभागिता हुई। यात्रा 205 प्रखंड तथा 850 ग्राम में गई तथा 3284 किलोमीटर की यात्रा हुई, जिसमें 152263 की उपस्थिति रही। एक हजार से अधिक उपस्थिति के स्थान 48 रहे। इस कार्यक्रम में प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही।

दुर्गावाहिनी एवं मातृशक्ति

वर्तमान में दुर्गावाहिनी की 2 विभाग संयोजिका, 13 जिला संयोजिका, 45 प्रखण्ड संयोजिका तथा अन्य संयोजिका 40 हैं। 4 शक्ति साधना केंद्र तथा 15 बाल संस्कार केंद्र संचालित हैं। मातृशक्ति की 4 विभाग संयोजिका, 15 जिला संयोजिका, 60 प्रखण्ड संयोजिका तथा अन्य संयोजिका 40 हैं। दुर्गाष्टमी 80 स्थान पर हुए, जिनकी उपस्थिति 5991 थी। रक्षा बंधन 28 स्थान पर 521 की उपस्थिति थी। लगभग 22000 परिवारों में अक्षत बहनों के माध्यम से हुआ है। अगस्त माह में मातृशक्ति का 3 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग पटना में सम्पन्न हुआ। 8 जिलों से 25 बहनें प्रशिक्षित हुई हैं।

सामाजिक समरसता

प्रान्त के 10 जिलों में सामाजिक समरसता के प्रमुख हैं तथा 8 प्रखंड प्रमुख हैं। 2 स्थानों पर समरसता यज्ञ हुए, जिसमें 290 की उपस्थिति रही। वाल्मीकि जयंती 32 स्थान पर मनाई गई, जिसकी उपस्थिति 415 थी। संत रविदास जयंती 48 स्थानों पर मनाए गए, जिसमें 530 बंधुओं की उपस्थिति रही है। 3 स्थानों पर समरसता भोज के भी आयोजन हुए, जिसमें 85 की उपस्थिति थी।

गौरक्षा

भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्धन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुरुशरण जी की उपस्थिति में प्रांत गौरक्षा टोली तथा ट्रस्ट का गठन हो चुका है। प्रान्त में 3 विभाग तथा 11 जिलों में गौरक्षा प्रमुख नियुक्त हैं। 9 स्थानों पर गोपाष्टमी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 380 की उपस्थिति थी।

सत्संग

प्रांत के 2 विभागों में प्रमुख हैं तथा 8 जिलों में जिला प्रमुख हैं, वर्तमान में 161 सत्संग चल रहे हैं। विगत 18,19,20 अगस्त को प्रांत सत्संग वर्ग भभुआ जिले में आयोजित हुआ, जिसमें 9 जिले से 29 की उपस्थिति थी। अखिल भारतीय प्रमुख श्री बसंत रथ जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

सेवा विभाग

सेवा विभाग के 3 विभाग प्रमुख तथा 10 जिलों में प्रमुख हैं, वर्तमान में 50 संस्कार शाला, 7 सिलाई सेंटर, 1 सौदर्य प्रशिक्षण केंद्र तथा स्वावलंबन के 4 केंद्र चल रहे हैं। कुल 62 सेवा कार्यों का संचालन हो रहा है। प्रत्येक माह दक्षता वर्ग का भी आयोजन हो रहा है।

धर्म प्रसार

प्रान्त में धर्म प्रसार की 7 जिलों में टोलीयाँ हैं। 15 टोली युक्त प्रखंड हैं, धर्म प्रसार की 32 ग्रामों में टोलियाँ हैं। विगत 6 माह में 32 परिवार के 240 सदस्यों का परावर्तन हुआ। वर्तमान में धर्म प्रसार के 30 सत्संग चल रहे हैं। वनवासी रक्षा फाउंडेशन द्वारा रोहतास जिले में 37 प्रतिभा विकास केंद्रों का संचालन हो रहा है।

धर्मयात्रा महासंघ

प्रान्त में 5 जिलों में समितियाँ हैं। बक्सर में पंचकोशी परिक्रमा में धर्मयात्रा महासंघ के द्वारा स्वास्थ्य सहायता प्रदान की गई। दो स्थानों में रुद्राभिषेक का भी आयोजन हुआ, जिसकी सँख्या 100 थी।

प्रचार प्रसार

प्रचार प्रसार की प्रान्त स्तरीय 3 सदस्यों की टोली है। 11 जिला में प्रमुख हैं। सितंबर माह में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग माननीय विनोद बंसल जी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ, जिसमें 8 जिले के 17 बंधु सहभागी हुए। प्रचार प्रसार टोली के द्वारा निधि समर्पण अभियान पर आधारित रामत्व स्मारिका का प्रकाशन हुआ है। जो देश भर में काफी सराहनीय रहा, इसी नाम से त्रैमासिक पत्रिका का प्रारंभ भी हो चुका है।

chitranjan1964@gmail.com

सामाजिक समरसता रुद्राभिषेक में ४० समाज प्रतिनिधि उपस्थित

अशोकनगर (मध्य प्रदेश)। विश्व हिंदू परिषद द्वारा समरसता रुद्राभिषेक माधव भवन घड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें समरसता प्रमुख विकास जैन बल्ली ने बताया कि इस यज्ञ में चंदेल समाज, शाक्य समाज, लोधी समाज, ताम्रकार समाज, सुमन समाज, पारदी समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, गुप्ता समाज, यादव समाज, सोनी समाज, त्यागी समाज, ओझा समाज, सोनी समाज, लोधी समाज, सेन समाज, साहू समाज, शर्मा समाज आदि 40 समाज प्रमुख जोड़े उपस्थित रहे, साथ ही विश्व हिंदू परिषद के श्री रामकुमार जी चौधरी, श्री कंछेदी जी दांगी, श्री रमेश जी गुप्ता, श्री वेदराम जी लोधी, शांतिलाल जी कुशवाहा, रामकृष्ण कुशवाहा आदि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

deepakmishravhp@gmail.com

अशोकनगर (मध्य प्रदेश) में विहिप द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता रुद्राभिषेक में 40 समाज प्रतिनिधि उपस्थित

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए हिंदू नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने आध्यात्मिक समृद्धि की यात्रा पर नई दिल्ली से तीर्थयात्रा शुरू की।

पटना जिले के बिहटा प्रखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद द्वारा 240 सदस्यों का परावर्तन समरसता यज्ञ आयोजित।

"LPC DELHI, DELHI PSO, DELHI RMS, DELHI-6
email:hinduvishwa@gmail.com
website: www.vhp.org

Postal Regd. No. DL-SW-01/4031/24-26
समाचार पत्र पंजी. सं. 68516/98
प्रकाशन तिथि : 28.03.2024
प्रेषण तिथि : 29-30 (अग्रिम-पाक्षिक)

LPS BOSSARD
Proven Productivity

PRODUCT SOLUTIONS

Whether a suitable standard solution or a customized component - fastening technology must be matched with a specific customer need. At LPS Bossard we have a solution to your every fastening challenge.

APPLICATION ENGINEERING

Product designers and production engineers all face a maze of challenges when designing and building their products. Making the right choice of fastening solution speeds up assembly and reduces life cycle costs. The application engineers at LPS Bossard have the expertise to help make that critical decision.

SMART FACTORY LOGISTICS

Smart Factory Logistics is an end-to-end service for managing your B- and C-parts. It is a time-tested and proven methodology that helps to leverage hidden potential for productivity improvement.

Rajesh Jain
M.D., LPS Bossard Pvt. Ltd.
Trustee, Vishva Hindu Parishad

LPS Bossard Pvt. Ltd.
NH-10, Delhi-Rohtak Road
Kharawar Bye Pass
Rohtak-124001 (INDIA)
T +91 1262 305164-198
F +91 1262 305111,112
india@lpsboi.com
www.bossard.com

प्रकाशक व मुद्रक हरिशंकर द्वारा सचिव, साहित्य एवं दृक्श्राव्य सेवा न्यास की ओर से 'रॉयल प्रेस' बी–82, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस–1, नई दिल्ली–110020 से छपवाकर संकटमोचन आश्रम, सेक्टर–6, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय शंकर तिवारी